रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-04072023-247018
CG-MH-E-04072023-247018

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 465]	नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 3, 2023/आषाढ़ 12, 1945
No. 465]	NEW DELHI, MONDAY, JULY 3, 2023/ASHADHA 12, 1945

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 3 जुलाई, 2023

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2023

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/136.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 के साथ पठित धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2023 कहा जा सकेगा।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 में,-

   (1) अध्याय-IV के बाद और अध्याय-V से पहले, निम्नलिखित अध्याय जोड़ा जाएगा, अर्थात् –

"अध्याय- IVक

ईएसजी रेटिंग प्रदाता

लागू होना

28क. इन विनियमों के प्रावधान, अध्याय-II, III और IV के प्रावधानों को छोड़कर, ईएसजी रेटिंग प्रदाताओं पर लागू होंगे:

परंतु यह कि अध्याय-I, V, VI और VII में जहाँ "साख निर्धारण एजेंसी" के बारे में बात की गई है, वहाँ उसका अर्थ, यथास्थिति, "ईएसजी रेटिंग प्रदाता" भी हो सकता है:

परंतु यह और कि इस अध्याय के प्रावधान केवल उन्हीं ईएसजी रेटिंग प्रदाताओं पर लागू होंगे, जिनके संबंध में चौथी अनुसूची में जिक्र किया गया है।

परिभाषाएँ

28ख. (1) नीचे जिन शब्दों आदि की परिभाषाएँ दी गई हैं, उनका अर्थ इस अध्याय के प्रयोजनार्थ तब तक निम्नानुसार ही रहेगा, जब तक कि उनका संदर्भ कुछ और न हो:

(क) "ग्राहक" का अर्थ है – ऐसा कोई व्यक्ति, जो ईएसजी रेटिंग प्रदाता की सेवाएं ले रहा हो या लेना चाहता हो;

(ख) "ईएसजी रेटिंग" का अर्थ है – ऐसे रेटिंग प्रोडक्ट, जिनके माध्यम से किसी निर्गमकर्ता (इश्युअर) या प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) के बारे में यह राय व्यक्त की जाती है कि वे ईएसजी से जुड़े पहलुओं की कसौटी पर कितने खरे उतरते हैं या उनका ईएसजी संबंधी जोखिम कितना है या उनके कार्यों की वजह से समाज और पर्यावरण आदि पर कितना असर पड़ सकता है। रेटिंग पहले से तय किए गए मानदंडों के आधार पर दी जाती हैं, फिर चाहे इन्हें "ईएसजी रेटिंग" कहा जाए या और कुछ कहा जाए;

(ग) "ईएसजी रेटिंग प्रदाता" का अर्थ है – ऐसा व्यक्ति, जो ईएसजी रेटिंग जारी करने के कारोबार में लगा हुआ हो या लगना चाहता हो;

(घ) "लिक्विड नेटवर्थ" का अर्थ है - नेटवर्थ (शुद्ध-मालियत) का वह हिस्सा जो लिक्विड असेट में लगा हो और जिन पर कोई ऋण-भार भी न हो;

स्पष्टीकरण.- इस अध्याय के प्रयोजनार्थ,-

(i) "लिक्विड असेट" कम जोखिम वाली एक ऐसी आस्ति (असेट) होती है, जिससे कम समय में आसानी से पैसा निकाला जा सके, जैसे कि नकद में रखा गया पैसा, मीयादी जमाएँ (फिक्स्ड डिपॉज़िट), सरकारी प्रतिभूतियाँ, खजाना बिल (ट्रेज़री बिल) और सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित रेपो।

(ii) "शुद्ध-मालियत" (नेटवर्थ) का अर्थ है - समादत्त (पेड-अप) इक्विटी पूँजी और खुली आरक्षितियों (फ्री रिज़र्व) [पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों (रीवैल्युएशन रिज़र्व) को छोड़कर] की कुल रकम में से हुए कुल नुकसान की रकम और बट्टे-खाते न डाले गए आस्थगित व्यय (जिसमें बट्टे-खाते न डाले गए विविध व्यय शामिल हैं) की रकम को घटाकर निकाली गई रकम;

(ङ) "निर्गमकर्ता" (इश्युअर) का अर्थ है – ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी रेटिंग या जिसकी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की रेटिंग ईएसजी रेटिंग प्रदाता द्वारा की जा रही हो या किए जाने का प्रस्ताव हो; और

(च) "संप्रवर्तक" (प्रोमोटर) का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में इसके लिए दिया हुआ है।

ईएसजी रेटिंग प्रदाताओं का रजिस्टर होना

28ग. इस विनियम के लागू होने की तारीख से ही, कोई भी व्यक्ति ईएसजी रेटिंग प्रदाता के रूप में तब तक कार्य नहीं करेगा, जब तक कि वह बोर्ड से प्रमाणपत्र प्राप्त न कर ले:

परंतु यह कि इस विनियम के लागू होने के तारीख को जो व्यक्ति ईएसजी रेटिंग प्रदाता के रूप में कार्य कर रहा हो, वह इस विनियम के लागू होने की तारीख से छह महीनों की अवधि तक या बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली उतनी किसी अन्य अवधि तक ऐसा करना जारी रख सकेगा, अथवा यदि उसने निर्धारित अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने हेतु आवेदन कर दिया हो, तो वह ऐसे आवेदन के संबंध में कार्यवाही पूरी किए जाने तक ऐसा करना जारी रख सकेगा।

प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने हेतु आवेदन

28घ. (1) इस अध्याय के लागू होने की तारीख को या उसके बाद जो व्यक्ति ईएसजी रेटिंग प्रदाता के रूप में कारोबार करना चाहता हो, उसे प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए बोर्ड के पास आवेदन करना होगा।

(2) ईएसजी रेटिंग प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने हेतु आवेदन बोर्ड के पास, पाँचवीं अनुसूची में दिए हुए फॉर्म-क में, किया जाएगा।

(3) आवेदन के साथ उतनी आवेदन फीस जमा करनी होगी, जितनी आवेदन फीस छठी अनुसूची के भाग-क में जमा करने को कहा गया है (जो लौटाई नहीं जाएगी), और यह फीस उसी प्रकार अदा की जाएगी जैसा छठी अनुसूची के भाग-ख में उल्लेख किया गया है।

(4) उप-विनियम (2) के तहत आवेदन नीचे दी हुई श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी के तहत रजिस्टर होने के लिए किया जाएगा, अर्थात्-

(क) श्रेणी-I; या

(ख) श्रेणी-II

पात्रता मानदंड

28ङ. प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के उद्देश्य से, आवेदक को नीचे दिए हुए मानदंड पूरे करने होंगे, अर्थात्,-

(क) आवेदक कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के तहत कंपनी के रूप में गठित हो;

(ख) आवेदक ने अपने संगम-ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन) में ईएसजी रेटिंग के कार्य को मुख्य उद्देश्य के तौर पर निर्धारित किया हुआ हो;

(ग) आवेदक ने ईएसजी रेटिंग प्रदान किए जाने से संबंधित अपनी कारोबार योजना बोर्ड के पास प्रस्तुत की हुई हो, जिसके साथ-साथ उसने यह भी बताया हो कि -

(i) कारोबार में खर्चे और आमदनी कब बराबरी की स्थिति पर पहुँच जाएंगे (इसके लिए यहाँ यह बताना होगा कि यह लक्ष्य किस तारीख तक पूरा कर लिया जाएगा);

(ii) प्रमाणपत्र प्राप्त करने की तारीख से दो वर्षों के भीतर, कितनी आमदनी का और कितने ग्राहकों को सेवा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है; और

(iii) कारोबार में खर्चे और आमदनी जब तक बराबरी की स्थिति पर नहीं पहुँचते, तब तक आवेदक को कुल-मिलाकर कितनी रकम तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है, और साथ ही यह भी बताना होगा कि ये नुकसान कहाँ-कहाँ उठाने पड़ सकते हैं;

स्पष्टीकरण – इस विनियम के खंड (ग) में जिन लक्ष्यों का जिक्र किया गया है, वे:

क. आवेदकों द्वारा स्वयं तय किए जाएँगे;

ख. उन निर्गमकर्ताओं (इश्युअर) के प्रतिभूति बाजारों (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) से संबंधित कार्यों के संबंध में ही तय किए जाएँगे, जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों या जिन्हें वहाँ सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए जाने का प्रस्ताव हो, अथवा जिनकी प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) वहाँ सूचीबद्ध हों या जिन्हें वहाँ सूचीबद्ध कराए जाने का प्रस्ताव हो, और

ग. तर्कसंगत हों;

(घ) आवेदक ने इस संबंध में एक घोषणा प्रस्तुत की हुई हो कि वह निम्नलिखित को छोड़कर न तो कोई कार्य कर रहा है और न ही करेगा और इसी प्रकार वह न तो किसी अन्य प्रोडक्ट या सेवा की पेशकश कर रहा है और न ही करेगा,

(i) ऐसे निर्गमकर्ता (इश्युअर) की ईएसजी रेटिंग, जो बोर्ड से मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हो या जिसे वहाँ सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए जाने का प्रस्ताव हो, या

(ii) ऐसी प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) की ईएसजी रेटिंग, जो बोर्ड से मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हो या जिसे वहाँ सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए जाने का प्रस्ताव हो, या

(iii) बोर्ड द्वारा निर्धारित कोई अन्य कार्य; किसी अन्य प्रोडक्ट या सेवा की पेशकश, या

(iv) ऐसे किसी अन्य प्रोडक्ट या निर्गमकर्ता (इश्युअर) की ईएसजी रेटिंग, जो बोर्ड द्वारा बताए गए वित्तीय क्षेत्र के किसी अन्य विनियामक (रेग्यूलेटर) या प्राधिकरण को करवानी हो, और जो ऐसे विनियामक या प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी;

परंतु यह कि श्रेणी-II का ईएसजी रेटिंग प्रदाता हरित ऋण प्रतिभूतियों (ग्रीन डैट सिक्यूरिटीज़) का प्रमाणीकरण नहीं करेगा या ऐसे कोई अन्य कार्य नहीं करेगा, जिनके बारे में बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।

(ङ) आवेदक की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) उतनी रहे, जितनी इन विनियमों के प्रावधानों के तहत जरूरी है:

परंतु यह कि शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) धनात्मक लिक्विड नेटवर्थ के रूप में ही रखी जाएगी;

(च) आवेदक के पास जरूरी बुनियादी सुविधाएँ हों [जिनमें शामिल हैं कार्यालय के लिए पर्याप्त स्थान, पर्याप्त तकनीक (टेकनोलॉजी), पर्याप्त जरूरी सामान आदि और पर्याप्त संख्या में कर्मचारी], ताकि वह अधिनियम और इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार ईएसजी रेटिंग सेवाएं प्रदान कर सके:

परंतु यह कि यदि श्रेणी-II का ईएसजी रेटिंग प्रदाता का अपना कोई कार्यालय न हो और वह अपने कार्य बाहर कहीं किसी भी स्थान से कर रहा हो, तो ऐसे में उसे कार्यालय के लिए जगह लेने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इसके लिए उसे एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि वह इस तरह से कार्यालय में कार्य न करके बाहर कहीं किसी स्थान से अपना कार्य कर रहा है;

(छ) आवेदक न तो बोर्ड से रजिस्टर साख निर्धारण एजेंसी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) और न ही बोर्ड से रजिस्टर कोई अन्य मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) हो;

(ज) आवेदक ने अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस ऑफिसर) को नियुक्त किया हुआ हो;

(झ) आवेदक के यहाँ ऐसे कर्मचारी होने चाहिए, जिनके पास जरूरी अनुभव हो और जो बोर्ड के अनुसार सही एवं पर्याप्त हो;

(ञ) आवेदक और उसके संप्रवर्तक (प्रोमोटर), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 की अनुसूची-II के अनुसार, उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति हों;

(ट) आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से पहले के तीन वर्षों के दौरान –

(i) आवेदक को इन विनियमों के तहत प्रमाणपत्र प्रदान करने से बोर्ड द्वारा इनकार न किया गया हो, या

(ii) बोर्ड ने यह न माना हो कि आवेदक उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति नहीं है, या

(iii) अधिनियम अथवा अधिनियम के तहत बनाए गए किसी नियम या विनियम (रेग्यूलेशन) के उल्लंघन के मामले में आवेदक के खिलाफ कोई प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) कार्रवाई न की गई हो ।

(ठ) आवेदक को प्रमाणपत्र प्रदान करना निवेशकों के हित में हो;

(ड) यदि आवेदक श्रेणी-I के तहत रजिस्टर होने के लिए आवेदन कर रहा हो, तो उसे कुछ और मानदंड भी पूरे करने होंगे जो इस प्रकार हैं -

(i) आवेदक या तो बोर्ड से रजिस्टर मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) की सहायक कंपनी (समनुषंगी / सब्सिडियरी) हो या ऐसे ईएसजी रेटिंग प्रदाता की सहायक कंपनी हो, जो उस देश में निगमित हो जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) का सदस्य हो और उनके संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत मान्यताप्राप्त हो, और जिसका प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) या कंपनियों की ईएसजी रेटिंग करने में कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव हो;

(ii) आवेदक का संप्रवर्तक (प्रोमोटर):

क. ऐसा कोई व्यक्ति हो, जो वित्तीय क्षेत्र के किसी विनियामक (रेग्यूलेटर), अर्थात् बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण या पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित हो, और उसने संबंधित विनियामक या प्राधिकरण (अथॉरिटी) से जरूरी मंजूरी (मंजूरियाँ) ले ली हो (हों); या

ख. किसी दूसरे देश का ऐसा ईएसजी रेटिंग प्रदाता हो, जो उस देश में निगमित हो जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) का सदस्य हो और उनके संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत मान्यताप्राप्त हो, और जिसका प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) या कंपनियों को ईएसजी रेटिंग प्रदान करने के कारोबार में कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव हो; या

ग. ऐसा कोई निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) हो, जिसकी शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ), बोर्ड के पास प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने से पहले के पाँच वर्षों के उसके लेखापरीक्षित (ऑडिटेड) वार्षिक लेखों के अनुसार, लगातार कम से कम एक सौ करोड़ रुपये की रही हो;

(iii) आवेदक के संप्रवर्तक (प्रोमोटर) के पास, बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने की तारीख से कम से कम पाँच वर्षों की अवधि तक ईएसजी रेटिंग प्रदाता के कम से कम छब्बीस प्रतिशत शेयर हों;

(iv) आवेदक की लिक्विड नेटवर्थ हर समय कम से कम पाँच करोड़ रुपये की रहे:

परंतु यह कि आवेदन करते समय, आवेदक की लिक्विड नेटवर्थ कम से कम या तो

क. दस करोड़ रुपये हो, या

ख. कारोबार में खर्चे और आमदनी जब तक बराबरी की स्थिति पर नहीं पहुँचते, तब तक आवेदक को कुल-मिलाकर जितनी रकम तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है, उतनी रकम (जो आवेदक ने इन विनियमों के तहत बताई हो) में पाँच करोड़ रुपये की रकम जोड़कर निकली रकम हो,

इनमें से जो भी ज्यादा हो:

परंतु यह और कि प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन करते समय प्रस्तुत की गई कारोबार योजना के अनुसार लिक्विड नेटवर्थ कम की जा सकती है, बशर्ते कि इन विनियमों का पालन किया जाए;

(v) आवेदक के पास हर समय कम से कम चार कर्मचारी ऐसे रहें,-

क. जो संचालन (गवर्नेंस) के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हों,

ख. जो पर्यावरण संरक्षण (सस्टेनेबिलिटी) के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हों,

ग. जो समाज को फायदा पहुँचाने या समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने से जुड़े पहलुओं की पर्याप्त जानकारी रखते हों,

घ. जो डाटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हों,

ङ. जो वित्त (फाइनेंस) के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हों,

च. जो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हों, और

छ. जो कानूनी पहलुओं के जानकार हों।

स्पष्टीकरण. – इस विनियम के प्रयोजनार्थ, किसी कर्मचारी को उपरोक्त में से ज्यादा से ज्यादा दो क्षेत्रों का विशेषज्ञ या जानकार माना जाएगा। इसके अलावा, किसी व्यक्ति को किसी एक क्षेत्र में तब विशेषज्ञ माना जाएगा, जब:

क. किसी अमुक क्षेत्र में कार्य करने का उसे कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव हो; या

ख. किसी अमुक क्षेत्र में उसके पास केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्था अथवा किसी दूसरे देश के विश्वविद्यालय से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त हो, अथवा चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट इंस्टीट्यूट से चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट चार्टर हो; या

ग. वह बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित कोई अन्य योग्यता रखता हो;

(ढ) यदि आवेदक श्रेणी-II के तहत रजिस्टर होने के लिए आवेदन कर रहा हो, तो उसे कुछ और मानदंड भी पूरे करने होंगे जो इस प्रकार हैं -

(i) आवेदक की लिक्विड नेटवर्थ हर समय कम से कम दस लाख रुपये की रहे:

परंतु यह कि आवेदन करते समय, आवेदक की लिक्विड नेटवर्थ कम से कम या

तो

क. बीस लाख रुपये हो, या

ख. कारोबार में खर्चे और आमदनी जब तक बराबरी की स्थिति पर नहीं पहुँचते, तब तक आवेदक को कुल-मिलाकर जितनी रकम तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है, उतनी रकम (जो आवेदक ने इन विनियमों के तहत बताई हो) में दस लाख रुपये की रकम जोड़कर निकली रकम हो,

इनमें से जो भी ज्यादा हो:

परंतु यह और कि प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन करते समय प्रस्तुत की गई कारोबार योजना के अनुसार लिक्विड नेटवर्थ कम की जा सकती है, बशर्ते कि इन विनियमों का पालन किया जाए;

(ii) आवेदक के पास हर समय कम से कम दो कर्मचारी ऐसे रहें,-

क. जो संचालन (गवर्नेंस) के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हों,

ख. जो पर्यावरण संरक्षण (सस्टेनेबिलिटी) के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हों,

ग. जो समाज को फायदा पहुँचाने या समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने से जुड़े पहलुओं की पर्याप्त जानकारी रखते हों, और

घ. जो डाटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हों।

स्पष्टीकरण. – इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, किसी कर्मचारी को उपरोक्त में से ज्यादा से ज्यादा दो क्षेत्रों का विशेषज्ञ या जानकार माना जाएगा। इसके अलावा, किसी व्यक्ति को किसी एक क्षेत्र में तब विशेषज्ञ माना जाएगा, जब:

(क) किसी अमुक क्षेत्र में कार्य करने का उसे कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव हो; या

(ख) किसी अमुक क्षेत्र में उसके पास केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्था अथवा किसी दूसरे देश के विश्वविद्यालय से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त हो; या

(ग) वह बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित कोई अन्य योग्यता रखता हो;

(ण) कोई अन्य मानदंड, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएँ।

कुछ और जानकारी या स्पष्टीकरण देना और व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना

28च. (1) बोर्ड, प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तुत किए गए आवेदन पर विचार करने के उद्देश्य से, आवेदक से ईएसजी रेटिंग प्रदाता के कार्यों के संबंध में या उससे संबंधित ऐसे ही किसी अन्य विषय के संबंध में कुछ और जानकारी या स्पष्टीकरण देने को कह सकेगा।

(2) बोर्ड, यदि चाहे तो, प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के संबंध में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए, आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को बोर्ड के समक्ष हाजिर होने के लिए भी कह सकेगा।

ईएसजी रेटिंग प्रदाता के रूप में प्रमाणपत्र प्रदान किया जाना

28छ. (1) बोर्ड ईएसजी रेटिंग प्रदाता की किसी भी श्रेणी के तहत प्रमाणपत्र प्रदान कर सकेगा, बशर्ते कि वह इस बात से संतुष्ट हो जाए कि आवेदक उस श्रेणी से संबंधित अपेक्षाएँ पूरी करता है।

(2) बोर्ड, इस बात से संतुष्ट हो जाने के बाद कि आवेदक पात्र है, पाँचवी अनुसूची के फॉर्म-ख में प्रमाणपत्र प्रदान करेगा, और उसकी जानकारी आवेदक को भेजेगा।

(3) इस विनियम के तहत प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब तक मान्य रहेगा, जब तक कि बोर्ड द्वारा वह प्रमाणपत्र निलंबित या रद्द न कर दिया जाए, अथवा ईएसजी रेटिंग प्रदाता द्वारा वापस न सौंप दिया जाए (सरंडर / अभ्यर्पित न कर दिया जाए)।

प्रमाणपत्र की शर्तें

28ज. इस अध्याय के तहत प्रमाणपत्र नीचे दी गई शर्तों पर प्रदान किया जाएगा:

(क) ईएसजी रेटिंग प्रदाता को अधिनियम, उसके तहत बनाए गए विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के प्रावधानों और बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों, निदेशों, परिपत्रों (सर्कुलर) और अनुदेशों का पालन करना होगा;

(ख) यदि बोर्ड के पास पहले प्रस्तुत की गई जानकारी आदि:

(i)तथ्यात्मक रूप से झूठी या गुमराह करने वाली पाई जाती है; या

(ii)में (जो प्रमाणपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय दी गई हो) कोई बदलाव हुआ हो,

तो ऐसे में ईएसजी रेटिंग प्रदाता बोर्ड को तुरंत लिखित में सूचित करेगा।

(ग) यदि ईएसजी रेटिंग प्रदाता के नियंत्रण में परिवर्तन किए जाने का कोई प्रस्ताव हो, तो ईएसजी रेटिंग प्रदाता ऐसा बदलाव होने के बाद भी ईएसजी रेटिंग प्रदाता के रूप में कार्य करना जारी रखने के लिए बोर्ड की पूर्व-मंजूरी लेगा;

(घ) ईएसजी रेटिंग प्रदाता की लिक्विड नेटवर्थ हमेशा कम से कम उतनी अवश्य रहे, जितनी इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार जरूरी है;

(ङ) ईएसजी रेटिंग प्रदाता को अपेक्षित रजिस्ट्रीकरण फीस वैसे ही अदा करनी होगी, जैसा इन विनियमों में बताया गया है;

(च) ईएसजी रेटिंग प्रदाता ने बोर्ड के पास अपना आवेदन प्रस्तुत करते समय जिन लक्ष्यों को पूरा करने की बात कही थी, उसे उन्हें निर्धारित समय के भीतर पूरा करना होगा:

परंतु यह कि उपरोक्त प्रावधान कुल-मिलाकर जितनी रकम तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है, उस रकम के बारे में लगाए गए अनुमानों पर लागू नहीं होगा:

परंतु यह और कि यदि लक्ष्य पूरे नहीं होते, तो ऐसे में ईएसजी रेटिंग प्रदाता को, संबंधित लक्ष्य पूरे किए जाने की निर्धारित तारीख से छह महीनों के भीतर या उतनी अन्य अवधि के भीतर जो बोर्ड द्वारा बताई जाए, अतिरिक्त पूँजी लगानी होगी या ऐसे अन्य सुधारात्मक कदम उठाने होंगे, जो भी उचित हों और जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए;

(छ) ईएसजी रेटिंग प्रदाता, इन विनियमों के अनुसार ईएसजी रेटिंग से संबंधित सेवाएं देगा अथवा ऐसे अन्य प्रोडक्ट या सेवाओं आदि की पेशकश करेगा या बोर्ड द्वारा बताए गए अन्य कार्य करेगा या ऐसे कार्यों से संबंधित कार्य करेगा किंतु इन्हें छोड़कर कोई और कार्य नहीं करेगा अथवा किसी अन्य प्रोडक्ट या सेवा की पेशकश नहीं करेगा।

प्रमाणपत्र प्रदान न किए जाने के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

28झ. (1) यदि, इस अध्याय के तहत किए गए आवेदन पर विचार करने के बाद, बोर्ड की यह राय हो कि प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जाना चाहिए, तो ऐसे में वह आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, आवेदन को नामंजूर कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत प्रमाणपत्र प्रदान न किए जाने के बोर्ड के निर्णय की सूचना बोर्ड द्वारा ऐसा निर्णय लिए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर आवेदक को दी जाएगी, और उसके साथ यह भी बताया जाएगा कि ऐसा निर्णय क्यों लिया गया है।

(3) यदि कोई आवेदक अपने आवेदन को उप-विनियम (1) के तहत नामंजूर किए जाने के बोर्ड के निर्णय से असंतुष्ट हो, तो ऐसे में वह उप-विनियम (2) के अनुसार सूचना मिलने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, ऐसे निर्णय पर दोबारा विचार करने के लिए बोर्ड के पास लिखित रूप में आवेदन कर सकेगा।

(4) जहाँ उप-विनियम (3) के तहत दोबारा विचार करने के लिए आवेदन किया जाए, वहाँ बोर्ड उस आवेदन पर विचार करेगा और जल्द से जल्द आवेदक को अपना निर्णय लिखित रूप में सूचित करेगा।

आचार संहिता

28ञ. ईएसजी रेटिंग प्रदाता सातवीं अनुसूची में दी हुई आचार संहिता का पालन करेगा।

पारदर्शिता, संचालन (गवर्नेंस) और हित-विरोध से बचना

28ट. ईएसजी रेटिंग प्रदाता:

(क) का एक वेबसाइट होगा औरे उस वेबसाइट पर ईएसजी रेटिंग की जानकारी, ईएसजी रेटिंग जिन आधारों पर दी गई (यानि कि जोखिम के आधार पर या कितना फायदा पहुँचाया गया उसके आधार पर या किसी अन्य आधार पर) उसकी जानकारी, ईएसजी संबंधी मानदंडों के आधार पर या ईएसजी रेटिंग से जुड़े अन्य मानदंडों के आधार पर कितने अंक दिए गए उसकी जानकारी आम जनता के लिए दी जाएगी, और साथ ही एक हाइपरलिंक भी दिया जाएगा जहाँ उस पद्धति की जानकारी दी गई हो जो ईएसजी रेटिंग प्रदान करने के लिए अपनाई गई;

(ख) ईएसजी रेटिंग प्रदान करने के लिए अपनाई जाने वाली पद्धतियों और प्रक्रियाओं की भी पर्याप्त जानकारी आम जनता को देगा और इस संबंध में पूरी-पूरी पारदर्शिता बनाए रखेगा;

(ग) ईएसजी रेटिंग देने के संबंध में जो पद्धति अपनाई गई उसकी जानकारी अपने वेबसाइट पर देगा, हालांकि ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखेगा कि गोपनीयता आदि के पहलुओं के मद्देनजर कौन-सी जानकारी नहीं दी जानी चाहिए, और साथ ही यह जानकारी भी देनी होगी कि ईएसजी रेटिंग प्रदान करते समय ईएसजी से जुड़े पहलुओं को अलग-अलग कितनी अहमियत दी गई और इसके लिए किन मुख्य-मुख्य पहलुओं आदि पर गौर किया गया;

(घ) अपने वेबसाइट पर ईएसजी रेटिंग के संबंध में प्रत्येक जानकारी देते समय यह बताएगा कि वह किस श्रेणी के तहत रजिस्टर है;

(ङ) ऐसे शब्दों आदि का इस्तेमाल करेगा जो प्रदान की जाने वाली ईएसजी रेटिंग को सही-सही बयान करें, और यदि ईएसजी रेटिंग प्रदाता किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (साख निर्धारण एजेंसी) का सहयोगी (असोसिएट) या की सहायक कंपनी (समनुषंगी / सब्सिडियरी) हो तो ऐसे में उसे अपने वेबसाइट पर और ईएसजी रेटिंग रिपोर्टों में प्रमुखता से यह दर्शाना होगा कि ईएसजी रेटिंग और क्रेडिट रेटिंग दोनों अलग-अलग होती हैं;

(च) अपने वेबसाइट पर ईएसजी रेटिंग देने के संबंध में पहले से अपनाई जा रही पद्धति में किए गए बदलावों की जानकारी देगा और उन बदलावों की वजह से ईएसजी रेटिंग में जो भी बदलाव हुआ हो उसकी भी जानकारी देगा;

(छ) को यह बताना होगा कि ईएसजी रेटिंग की पद्धति में बदलाव किए जाने की वजह से ईएसजी रेटिंग में किस हद तक बदलाव हुआ है;

(ज) यह सुनिश्चित करेगा कि ईएसजी रेटिंग देने के संबंध में पहले जो-जो पद्धतियाँ अपनाई गईं और जो-जो ईएसजी रेटिंग दी गईं, उनकी पूरी जानकारी उसके वेबसाइट पर हमेशा रहे, और जो आसानी से डाउनलोड भी की जा सके और जो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में हो (जो एक्स्टेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज में हो तो बेहतर है);

(झ) अपने वेबसाइट पर यह जानकारी देगा कि एक वर्ष में जो-जो ईएसजी रेटिंग दी गई उसका औसत कितना रहा, और यह जानकारी उसी प्रकार दी जाएगी जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए;

(ञ) अपने वेबसाइट पर यह जानकारी देगा कि उसने अपने ग्राहकों से किस-किस तरह के शुल्क आदि लिए, और क्या ईएसजी रेटिंग माँगने पर दी गई या बिना माँगे दी गई;

(ट) ऐसे अन्य कदम उठाएगा, जो बोर्ड को ईएसजी रेटिंग को सही तरह से समझने के लिए जरूरी लगें;

(ठ) यह आकलन करेगा कि हित-विरोध कहाँ-कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं और उनकी जानकारी देगा, और साथ ही जहाँ तक मुमकिन हो, हित-विरोधों से बचेगा या उन्हें कम करने का प्रयास करेगा;

(ड) हित-विरोध के मामलों के संबंध में नीतियाँ और आंतरिक स्तर पर आचार संहिताएँ निर्धारित करेगा, और इस प्रकार निर्धारित की गई नीतियों की जानकारी अपने वेबसाइट पर प्रमुखता से देगा;

(ढ) यह आकलन करेगा कि ईएसजी रेटिंग प्रदाता और उसके ग्राहकों या ग्राहकों के समूहों के बीच, अथवा कई ग्राहकों के बीच, अथवा जिस निर्गमकर्ता (इश्युअर) को रेटिंग दी गई हो या जिस निर्गमकर्ता की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को रेटिंग दी जा रही हो उसके और अन्य ग्राहकों या ग्राहकों के समूह के बीच अथवा ईएसजी रेटिंग प्रदाता और किन्हीं अन्य पक्षों के बीच हित-विरोध कहाँ-कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं और उनकी जानकारी देगा, और साथ ही जहाँ तक मुमकिन हो हित-विरोधों को कम करने का प्रयास करेगा;

(ण) यह सुनिश्चित करेगा कि ईएसजी रेटिंग प्रदाता या उसके सहयोगियों (असोसिएट) और ऐसे किसी व्यक्ति जिसे वह ईएसजी रेटिंग प्रदान करता हो या ऐसे व्यक्ति के सहयोगियों के बीच यदि कोई कारोबारी संबंध हो या बनने वाला हो, तो उसकी वजह से ईएसजी रेटिंग पर कोई असर न पड़े;

(त) यह स्पष्ट करेगा कि उसके कौन-कौन से कर्मचारी किस-किस को रिपोर्ट करेंगे और उन्हें कितना-कितना वेतन या भत्ते दिए जाएँगे, ताकि जो भी हित-विरोध हो या होने वाला हो उसे दूर किया जा सके या उसे यथासंभव रूप से कम करने का प्रयास किया जा सके;

(थ) ईएसजी से जुड़े पहलुओं (जिसमें ईएसजी रेटिंग शामिल है) के संबंध में परामर्शी या सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करेगा; और

(द) की नीतियाँ और प्रक्रियाएँ लिखित रूप में हों और वह उन्हीं के अनुसार अपने कामकाज करेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके निर्णय स्वतंत्र रूप से लिए जाते हैं और निर्णय लेते समय न तो किसी तरह की कोई अनुचित दखलंदाजी की जाती है और न ही वे निर्णय किसी तरह के दबाव में लिए जाते हैं।

रेटिंग की प्रक्रिया और ईएसजी रेटिंग पर नजर रखना

28ठ. (1) ईएसजी रेटिंग प्रदाता:

(क) के यहाँ ईएसजी रेटिंग प्रदान करने के लिए आंतरिक स्तर पर पर्याप्त व्यवस्था होगी;

(ख) जो भी नए ईएसजी रेटिंग इंस्ट्रूमेंट लाएगा या जो भी नए चिह्न (सिम्बल) जारी करेगा उनकी जानकारी आम जनता को देगा;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि वह भारत के परिप्रेक्ष्य के आधार पर भी ईएसजी के पहलुओं का आकलन करके रेटिंग देता हो, जैसा भी बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए:

परंतु यह कि ऊपर दी हुई कोई भी बात ईएसजी रेटिंग प्रदाता को कुछ और ईएसजी रेटिंग प्रोडक्ट या कुछ और सेवाओं की पेशकश करने से नहीं रोकेगी।

(घ) किसी निर्गमकर्ता (इश्युअर) या प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) को प्रदान की गई ईएसजी रेटिंग की जानकारी और ईएसजी रेटिंग में किए गए किन्हीं बदलावों या समीक्षाओं (जो समय-समय पर समीक्षा करके किए गए हों या किसी और वजह से किए गए हों) की जानकारी जल्द से जल्द उस (उन) स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को देगा, जहाँ निर्गमकर्ता या प्रतिभूति सूचीबद्ध (लिस्टिड) हो, और वह जानकारी अपने वेबसाइट पर डालेगा, और साथ ही निवेशकों की जानकारी के लिए प्रेस विज्ञप्तियाँ भी जारी करेगा;

(ङ) की नीतियाँ और प्रक्रियाएँ लिखित रूप में होंगी और उसके यहाँ आंतरिक नियंत्रण की भी व्यवस्था होगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रक्रियाएँ और पद्धतियाँ न केवल कड़ाई से व समान रूप से लागू हैं बल्कि व्यवस्थित भी हैं,

और उनकी समय-समय पर समीक्षा भी की जाए और साथ ही उनमें जरूरी बदलाव भी किए जाएँ;

(च) की नीतियाँ और प्रक्रियाएँ लिखित रूप में हों और वह उन्हीं के अनुरूप अपना कामकाज करे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जो भी जानकारी आमतौर पर उपलब्ध हो उसके आधार पर बेहतरीन ढंग से ईएसजी रेटिंग प्रदान की जाए, और यदि ऐसी जानकारी आम तौर पर उपलब्ध न हो, तो अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ईएसजी रेटिंग प्रदान की जाए और जिसके लिए अपनाई जाने वाली पद्धतियाँ पारदर्शी होने के साथ-साथ पहले से निर्धारित भी हों;

(छ) के यहाँ ऐसी कारगर व्यवस्थाएँ हों, जिनसे ईएसजी के पहलुओं में होने वाले अहम बदलावों पर नज़र रखी जा सके, और इस तरह से यह सुनिश्चित हो सके कि ईएसजी रेटिंग समय पर और सही-सही प्रदान की जाएँ;

(ज) लगातार यह प्रयास करेगा कि उसके द्वारा जिन निर्गमकर्ताओं (इश्युअर) और प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को रेटिंग प्रदान की जाती है, उनसे जुड़ी जानकारी और कारगर ढंग से कैसे जुटाई जा सके।

(झ) जिन निर्गमकर्ताओं (इश्युअर) की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) आदि को रेटिंग प्रदान करता है, यदि उनकी कुछ समस्याएँ हों तो वह उन्हें सुलझाने का प्रयास करेगा, और साथ ही इस बात का पूरा ध्यान रखेगा कि ऐसा करते समय रेटिंग की निष्पक्षता पर भी कोई आँच न आए; और

(ञ) जिस निर्गमकर्ता (इश्युअर) को रेटिंग प्रदान की जा रही हो या जिस निर्गमकर्ता की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को रेटिंग प्रदान की जा रही हो, उसके साथ ईएसजी रेटिंग रिपोर्ट का मसौदा (रिपोर्ट को जारी करने से पहले) साझा करेगा:

परंतु यह कि ईएसजी रेटिंग प्रदाता, निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा निवेदन किए जाने पर, अपील करने और अपना पक्ष आदि रखने का अवसर प्रदान करेगा ।

(2) ईएसजी रेटिंग प्रदाता तब तक ग्राहक की रेटिंग पर लगातार नजर बनाए रखेगा, जब तक कि बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए तरीके से रेटिंग वापस न ले ली जाए।

ईएसजी रेटिंग की समीक्षा हेतु प्रक्रिया

28ड. (1) ईएसजी रेटिंग प्रदाता प्रदान की गई हर ईएसजी रेटिंग की तब तक वर्ष में एक बार (या जरूरत पड़ने पर वर्ष में एक से अधिक बार) समीक्षा करता रहेगा, जब तक कि ईएसजी रेटिंग इन विनियमों के अनुसार वापस न ले ली जाए ।

(2) ईएसजी रेटिंग प्रदाता प्रदान की गई ईएसजी रेटिंग तब तक वापस नहीं लेगा, जब तक कि जिस निर्गमकर्ता (इश्युअर) को रेटिंग प्रदान की गई हो या जिस निर्गमकर्ता की प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) को रेटिंग प्रदान की गई हो, उसकी कंपनी बंद न हो जाए (उसे वाइंड-अप न कर दिया जाए) या फिर उसका किसी कंपनी में विलय (मर्जर) न हो जाए या उसकी कंपनी किसी दूसरी कंपनी में मिलकर कोई नई कंपनी न बन जाए, और या फिर वह रेटिंग ऐसे मामलों में वापस लेगा जिनके बारे में बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए ।

(3) ईएसजी रेटिंग प्रदाता लिखित रूप में निर्धारित की गई अपनी नीतियों के अनुसार ही ईएसजी रेटिंग वापस लेगा और जिनकी जानकारी वेबसाइट पर भी देनी होगी, हालांकि ऐसी नीतियाँ उप-विनियम (2) के प्रावधान को ध्यान में रखकर बनाई जाएँगी।

(4) ईएसजी रेटिंग प्रदाता द्वारा जिस निर्गमकर्ता (इश्युअर) को रेटिंग प्रदान की गई हो या जिस निर्गमकर्ता की प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) को रेटिंग प्रदान की गई हो, यदि वह ईएसजी रेटिंग की समीक्षा के संबंध में ईएसजी रेटिंग प्रदाता को सहयोग करने से इनकार करता है (इसके बावजूद भी कि कॉण्ट्रैक्ट के अनुसार उसके लिए सहयोग करना जरूरी है), तो ईएसजी रेटिंग प्रदाता ऐसे में ईएसजी रेटिंग की समीक्षा यथासंभव उपलब्ध जानकारी के आधार पर और उस तरह से करेगा जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए:

परंतु यह कि यदि ईएसजी रेटिंग उपरोक्तानुसार निर्गमकर्ता द्वारा सहयोग न किए जाने के कारण यथासंभव उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रदान की गई हो, तो ईएसजी रेटिंग प्रदाता इसकी जानकारी निवेशकों को देगा।

आंतरिक प्रक्रियाएँ निर्धारित करना

28ढ. (1) ईएसजी रेटिंग प्रदाता ऐसी प्रक्रियाएँ और व्यवस्थाएँ निर्धारित करेगा, जिनसे उसके कर्मचारियों द्वारा उसके ग्राहकों की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में की जाने वाली ट्रेडिंग पर नजर रखी जा सके, ताकि -

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु (अनुचित) व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध] विनियम, 2003; और

(ग) प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग से संबंधित अन्य कानूनी प्रावधानों,

का उल्लघंन होने से रोका जा सके।

ईएसजी रेटिंग की परिभाषाएँ बताना

28ण. ईएसजी रेटिंग प्रदाता, ईएसजी रेटिंग बताते समय :

(क) ईएसजी रेटिंग की परिभाषा भी बताएगा और उसके चिह्न (सिम्बल) भी बताएगा; और

(ख) स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करेगा कि जो भी ईएसजी रेटिंग दी गई है, उसका अर्थ यह न लगाया जाए कि प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को खरीदने, बेचने या उन्हें अपने पास रखे रहने की कोई सिफारिश की जा रही है।

बोर्ड के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करना

28त. (1) ईएसजी रेटिंग प्रदाता बोर्ड द्वारा माँगी जाने वाली हर जानकारी [जिसमें शामिल है – उसके कार्यों से संबंधित कोई रिपोर्ट] उतनी अवधि के भीतर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जितनी अवधि के भीतर बोर्ड द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने को कहा जाए।

(2) प्रत्येक ईएसजी रेटिंग प्रदाता, प्रत्येक लेखा अवधि के समाप्त होने पर, अपने वित्तीय विवरणों की प्रतियाँ बोर्ड के समक्ष उसी प्रकार प्रस्तुत करेगा, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।

अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति

28थ. (1) ईएसजी रेटिंग प्रदाता अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस ऑफिसर) को नियुक्त करेगा, जो समस्त लागू कानूनी प्रावधानों के पालन पर नज़र रखने के लिए जिम्मेदार होगा।

(2) यदि अनुपालन अधिकारी को यह पता चलता है कि कहीं किसी प्रावधान का पालन नहीं हुआ है, तो ऐसे में वह उसकी जानकारी बोर्ड को तुरंत और स्वतंत्र रूप से देगा।

बही-खाते (लेखा-बहियों), रिकॉर्ड आदि रखना

28द. (1) प्रत्येक ईएसजी रेटिंग प्रदाता, कम से कम पाँच वर्षों की अवधि तक, नीचे बताए गए बही-खाते, रिकॉर्ड और दस्तावोज संभालकर रखेगा, अर्थात् –

(क) प्रत्येक लेखा अवधि के समाप्त होने पर तैयार किए गए अपने वित्तीय विवरणों की प्रति;

(ख) प्रत्येक लेखा अवधि हेतु तैयार किए गए अपने बही-खातों के संबंध में लेखापरीक्षक (ऑडिटर) द्वारा दी गई रिपोर्ट की प्रति;

(ग) प्रत्येक ग्राहक के साथ किए गए करार (एग्रीमेंट) की प्रति (यदि लागू हो);

(घ) प्रत्येक ग्राहक द्वारा दी गई जानकारी, यदि लागू हो;

(ङ) प्रत्येक ग्राहक के साथ किए गए पत्र-व्यवहार;

(च) विभिन्न निर्गमकर्ताओं (इश्युअर) या प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को दी गई ईएसजी रेटिंग, और यदि पहले दी गई रेटिंग बढ़ाई या घटाई गई हो, तो उसका भी रिकॉर्ड आदि;

(छ) ईएसजी रेटिंग संबंधी नोट और अन्य दस्तावेज, जिनमें यह उल्लेख किया गया हो कि ईएसजी रेटिंग के पीछे क्या तर्क था या फिर जिनसे यह पता चले कि वह किस आधार पर दी गई थी;

(ज) ईएसजी रेटिंग दिए जाने के संबंध में जारी किए गए पत्र या जारी की गई रिपोर्ट या प्रेस विज्ञप्ति या दी गई जानकारी (डिस्कलोज़र);

(झ) ईएसजी रेटिंग देने के लिए ली गई फीस के विवरण; और

(ञ) ऐसे अन्य रिकॉर्ड, जो बोर्ड समय-समय पर रखने को कहे ।

(2) प्रत्येक ईएसजी रेटिंग प्रदाता बोर्ड को उस स्थान की सूचना देगा, जहाँ इन विनियमों के अनुसार संभालकर रखे जाने वाले बही-खाते, रिकॉर्ड और दस्तावेज रखे जा रहे हों ।

लेखापरीक्षक (ऑडिटर) की रिपोर्ट के आधार पर कदम उठाना

28ध. प्रत्येक ईएसजी रेटिंग प्रदाता, लेखापरीक्षक (ऑडिटर) की रिपोर्ट की तारीख से दो महीनों के भीतर, उस रिपोर्ट में बताई गई खामियों (यदि कोई बताई गई हों) को दूर करने के लिए कदम उठाएगा, जहाँ तक वे ईएसजी रेटिंग के कार्यों से संबंध रखती हों ।

गोपनीयता

28न. (1) प्रत्येक ईएसजी रेटिंग प्रदाता किसी व्यक्ति द्वारा उसे दी गई जानकारी को गोपनीय मानेगा और वह जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देगा, हालाँकि वह जानकारी तब दी जा सकेगी जब वह जानकारी उस समय लागू किसी कानूनी प्रावधान के अनुसार देनी जरूरी हो अथवा वह जानकारी दिए जाने की अनुमति हो या फिर ईएसजी रेटिंग प्रदाता ने सूचना देने वाले से इसकी लिखित रूप में सहमति ले ली हो ।

(2) यदि किसी व्यक्ति ने कोई गोपनीय जानकारी ईएसजी रेटिंग प्रदाता को ईएसजी रेटिंग करने देने के लिए न दी हो, तो ऐसे में वह उसका इस्तेमाल ईएसजी रेटिंग देने के लिए तब तक नहीं करेगा, जब तक कि ईएसजी रेटिंग प्रदाता जानकारी देने वाले से इसकी लिखित रूप में सहमति न ले ले ।

(3) यदि ईएसजी रेटिंग प्रोडक्ट से जुड़ी ऐसी कोई जानकारी ईएसजी रेटिंग प्रदाता को मिली हो जो आम जनता के लिए उपलब्ध न हो, तो ऐसे में ऐसी जानकारी किसी और से साझा न हो, इसके लिए भी वह लिखित रूप में नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ निर्धारित और लागू करेगा ।

ईएसजी रेटिंग प्रदाता के कितने शेयर रखे जा सकते हैं

28प. (1) ईएसजी रेटिंग प्रदाता :

(क) प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी दूसरे ईएसजी रेटिंग प्रदाता के दस प्रतिशत या उससे अधिक के शेयर या मताधिकार नहीं रखेगा, या

(ख) का किसी दूसरे ईएसजी रेटिंग प्रदाता के निदेशक मंडल में प्रतिनिधित्व नहीं होगा:

परंतु यह कि ईएसजी रेटिंग प्रदाता निवेशकों के हित में, बाजार में सत्यनिष्ठा और स्थिरता को कायम रखने के लिए, बोर्ड की पूर्व मंजूरी से, किसी दूसरे ईएसजी रेटिंग प्रदाता के दस प्रतिशत से अधिक के शेयर या मताधिकार तब अर्जित कर सकेगा जब ऐसा करने की वजह से उस ईएसजी रेटिंग प्रदाता के नियंत्रण में परिवर्तन हो जाता हो जिसके शेयर अर्जित किए जा रहे हों ।

(2) किसी एक ईएसजी रेटिंग प्रदाता के दस प्रतिशत या उससे अधिक के शेयर या मताधिकार रखने वाला शेयरधारक किसी दूसरे ईएसजी रेटिंग प्रदाता के, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, दस प्रतिशत या उससे अधिक के शेयर या मताधिकार नहीं रखेगा:

परंतु यह कि उपरोक्त पाबंदी पेंशन फंडों, बीमा स्कीमों और म्यूचुअल फंड की स्कीमों के मामले में लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण. – इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, "ईएसजी रेटिंग प्रदाता" का अर्थ है – बोर्ड के पास रजिस्टर हुआ ईएसजी रेटिंग प्रदाता ।

संप्रवर्तक (प्रोमोटर) या रेटिंग एजेंसी से जुड़ी एंटिटियों की रेटिंग न किया जाना

28फ. (1) कोई भी ईएसजी रेटिंग प्रदाता ऐसे किसी निर्गमकर्ता (इश्युअर) को या ऐसे किसी निर्गमकर्ता (इश्युअर) की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को रेटिंग नहीं देगा, जिसने उसके संप्रवर्तक (प्रोमोटर) से उधार लिया हो या जो उसके

संप्रवर्तक की सहायक कंपनी (समनुषंगी/सब्सिडियरी) या उसके संप्रवर्तक का सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) हो, यदि

(क) ईएसजी रेटिंग प्रदाता का अध्यक्ष या उसका कोई निदेशक संप्रवर्तक (प्रोमोटर) से उधार लेने वाले या उसकी सहायक कंपनी (समनुषंगी/सब्सिडियरी) या उसके सहयोगी का भी अध्यक्ष या निदेशक हो; या

(ख) ईएसजी रेटिंग प्रदाता का कर्मचारी संप्रवर्तक (प्रोमोटर) से उधार लेने वाले या उसकी सहायक कंपनी (समनुषंगी/सब्सिडियरी) या उसके सहयोगी का भी कर्मचारी हो ।

(2) कोई भी ईएसजी रेटिंग प्रदाता ऐसे किसी निर्गमकर्ता (इश्युअर) या ऐसे किसी निर्गमकर्ता (इश्युअर) की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को रेटिंग नहीं देगा जो उसका संप्रवर्तक हो;

(3) ईएसजी रेटिंग प्रदाता ऐसे किसी निर्गमकर्ता (इश्युअर) को न तो कोई ईएसजी रेटिंग देगा और न ही ऐसे निर्गमकर्ताओं (इश्युअर) की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को रेटिंग देगा, जिसका संप्रवर्तक वह स्वयं हो या उसके सहयोगी (असोसिएट) हों ।

(4) कोई भी ईएसजी रेटिंग प्रदाता ऐसे किसी निर्गमकर्ता (इश्युअर) या ऐसे किसी निर्गमकर्ता की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को रेटिंग नहीं देगा, यदि उसका अध्यक्ष, निदेशक या कर्मचारी उस निर्गमकर्ता (इश्युअर) का भी अध्यक्ष, निदेशक या कर्मचारी हो:

परंतु यह कि ईएसजी रेटिंग प्रदाता, उप-विनियम (1) के प्रावधानों के तहत, ऐसी किसी एंटिटी को रेटिंग नहीं दे सकेगा, जिसका स्वतंत्र निदेशक उसका भी स्वतंत्र निदेशक हो, यदि, -

(क) वह स्वतंत्र निदेशक ईएसजी रेटिंग संबंधी निर्णयों के संबंध में होने वाली चर्चाओं में भाग न लेता हो, और

(ख) ईएसजी रेटिंग प्रदाता ऐसे निर्गमकर्ता (इश्युअर) की ईएसजी रेटिंग की घोषणा करते समय इस बात की जानकारी दे दे कि संबंधित निर्गमकर्ता (इश्युअर) का स्वतंत्र निदेशक उसके बोर्ड में भी स्वतंत्र निदेशक है, और इस बात की भी जानकारी दे दे कि उस स्वतंत्र निदेशक ने रेटिंग की प्रक्रिया में या उसके निदेशक मंडल की उस बैठक में भाग नहीं लिया, जब ऐसे सहयोगी (असोसिएट) की रेटिंग पर चर्चा हुई थी ।

स्पष्टीकरण. – इस विनियम के प्रयोजनार्थ,

(क) "स्वतंत्र निदेशक" का अर्थ है – वह निदेशक जिसका निदेशक के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करने के अलावा कंपनी, उसके संप्रवर्तकों, उसके प्रबंध-मंडल या उसकी सहायक कंपनियों (समनुषंगियों/सब्सिडियरी) के साथ ऐसा कोई अन्य महत्त्वपूर्ण आर्थिक संबंध न हो या ऐसे कोई लेनदेन (ट्रांजैक्शन) न होता हो, जिसकी वजह से कंपनी के बोर्ड को ऐसा लगे कि वह निदेशक स्वतंत्र रूप से अपनी राय नहीं दे पाएगा ।

(ख) संप्रवर्तक (प्रोमोटर) के संबंध में "सहयोगी" (असोसिएट), में शामिल है – वह निगमित निकाय, जिसकी शेयर पूँजी का दस प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सा संप्रवर्तक के पास हो;

(ग) "संप्रवर्तक" का अर्थ है – वह व्यक्ति, जिसके पास ईएसजी रेटिंग प्रदाता के दस प्रतिशत या उससे अधिक शेयर हों ।"

(2) तीसरी अनुसूची के बाद, निम्नलिखित अनुसूचियाँ जोड़ी जाएंगी, अर्थात् -

"चौथी अनुसूची

[विनियम 28क देखें]

अध्याय – IVक का लागू होना

क्र.सं.	**ईएसजी रेटिंग प्रदाता कहाँ का है**	**प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में आस्ति वर्ग (असेट क्लास)**	**ईएसजी रेटिंग यूज़र कहाँ का है**	**क्या विनियम लागू होंगे**
1.	भारत का है	भारतीय	भारत का है	हाँ
2.	भारत का है	भारतीय	भारत के बाहर का है	नहीं
3.	भारत का है	वैश्विक	भारत का है	हाँ

क्र.सं.	ईएसजी रेटिंग प्रदाता कहाँ का है	प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में आस्ति वर्ग (असेट क्लास)	ईएसजी रेटिंग यूज़र कहाँ का है	क्या विनियम लागू होंगे
4.	भारत के बाहर का है	भारतीय	भारत का है	हाँ
5.	भारत के बाहर का है	भारतीय	भारत के बाहर का है	नहीं
6.	भारत के बाहर का है	वैश्विक	भारत का है	नहीं

पाँचवी अनुसूची

[विनियम 28घ और 28छ देखें]

फॉर्म

फॉर्म-क

ईएसजी रेटिंग प्रदाता के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन

आवेदक का नाम :

अनुपालन अधिकारी का नाम :

मोबाइल नंबर :

ईमेल आईडी :

फॉर्म भरने के लिए अनुदेश –

(क) आवेदक को आवेदन फॉर्म पूरी तरह से भरकर जरूरी समर्थक दस्तावेजों के साथ बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होगा ।

(ख) यह आवेदन फॉर्म इन विनियमों के अनुसार भरा जाए ।

(ग) रजिस्टर होने के लिए किए गए आवेदन पर केवल तभी विचार किया जाएगा, जब वह हर तरह से पूरा हो ।

(घ) सभी जवाब टाइप करवाकर ही प्रस्तुत किए जाएँ ।

(ङ) जो जानकारी विस्तार से देनी जरूरी हो, वह जानकारी अलग पृष्ठों पर दी जा सकेगी और जो आवेदन फॉर्म के साथ लगाए जाएँ ।

(च) आवेदन पर सभी हस्ताक्षर मूल रूप में होंगे ।

(छ) फॉर्म के प्रत्येक पृष्ठ और प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ पर आवेदक के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर अवश्य हों ।

(ज) आवेदन के साथ उतनी आवेदन फीस जमा करनी होगी, जितनी आवेदन फीस छठी अनुसूची में जमा करने को कहा गया है ।

(झ) इस अनुसूची में जहाँ कहीं भी 'रेटिंग' का जिक्र है, वहाँ ईएसजी रेटिंग की ही बात की जा रही है, जब तक कि खास तौर पर कुछ और उल्लेख न किया जाए ।

1. आवेदक के विवरण

1.1. आवेदक का नाम, पंजीकृत (रजिस्ट्रीकृत) कार्यालय का पता, पत्र-व्यवहार का पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, शाखा कार्यालय (यदि कोई हो) का पता ।

1.2. संपर्क व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ।

1.3. ईएसजी रेटिंग प्रदाता की श्रेणी, जिसके लिए आवेदन किया गया है।

1.4. यदि आवेदन श्रेणी-I के लिए किया जाए, तो कृपया नीचे दी गई जानकारी दें (जो लागू हो):

1.4.1. बोर्ड से रजिस्टर उस मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) के ब्यौरे जिसका आवेदक सहायक कंपनी (समनुषंगी / सब्सिडियरी) हो या ऐसे ईएसजी रेटिंग प्रदाता के ब्यौरे जिसका आवेदक सहायक कंपनी (समनुषंगी / सब्सिडियरी) हो, और जो उस देश में निगमित हो जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) का सदस्य हो और उनके संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत मान्यताप्राप्त हो ।

1.4.2. आवेदक के संप्रवर्तकों (प्रोमोटर) के ब्यौरे ।

1.5. ईएसजी रेटिंग प्रदान करने के कारोबार से संबंधित आवेदक के कामकाज के बारे में नीचे दी गई जानकारी प्रदान करें:

1.5.1. कारोबार योजना, और

1.5.2. कारोबार में खर्चे और आमदनी कब बराबरी की स्थिति पर पहुँच जाएंगे (तारीख बताएँ), और

1.5.3. प्रमाणपत्र प्राप्त करने की तारीख से दो वर्षों के भीतर, कितनी आमदनी का और कितने ग्राहकों को सेवा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, और

1.5.4. कारोबार में खर्चे और आमदनी जब तक बराबरी की स्थिति पर नहीं पहुँचते, तब तक आवेदक को कुल-मिलाकर कितनी रकम तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है, और साथ ही यह भी बताना होगा कि ये नुकसान कहाँ-कहाँ उठाने पड़ सकते हैं;

1.6. आवेदक की लिक्विड नेटवर्थ और यह घोषणा कि (i) सेबी से रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के बाद ईएसजी रेटिंग प्रदाता उपरोक्त पैरा 1.5.4 में बताई गई रकम को केवल कारोबार संबंधी उन्हीं कार्यों आदि के संबंध में खर्च कर सकता है, जिनका उल्लेख आवेदन करते समय प्रस्तुत की गई कारोबार योजना में किया गया हो; और (ii) इस रकम का इस्तेमाल केवल इन्हीं खर्चों के लिए ही किया जाए या फिर इसे लिक्विड नेटवर्थ के रूप में ही रखा जाए ।

1.7. आवेदक कंपनी के गठन की तारीख (गठन संबंधी प्रमाणपत्र और संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद लगाएं) और नीचे दी गई जानकारी प्रदान करें:

1.7.1. आवेदक कंपनी के उद्देश्य (मुख्य उद्देश्य और मुख्य उद्देश्यों से संबंधित उद्देश्य); और

1.7.2. प्राधिकृत पूँजी (अथॉराइज़्ड कैपिटल), निर्गमित पूँजी (इश्यूड कैपिटल), अभिदत्त पूँजी (सबस्क्राइब्ड कैपिटल) और समादत्त पूँजी (पेड-अप कैपिटल) ।

1.8. आवेदक का गठन किस रूप में हुआ है, यानि कि क्या कंपनी सीमित देनदारियों वाली कंपनी है (शेयरों या गारंटी के लिहाज से), निजी कंपनी है या सार्वजनिक, या फिर असीमित देनदारियों वाली कंपनी है ।

1.9. क्या आवेदक सूचीबद्ध (लिस्टिड) है । यदि हाँ, तो स्टॉक एक्सचेंजों के नाम और शेयरों की अंतिम कीमत बताएँ ।

1.10. क्या आवेदक या उसके सहयोगी (असोसिएट) बोर्ड या किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण के पास किसी भी हैसियत से रजिस्टर हैं, यदि हैं तो रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे भी दें ।

1.11. क्या आवेदक :

1.11.1. किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, जो पहले से ही ईएसजी रेटिंग प्रदान करने का कारोबार कर रहा है

1.11.2. किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, जो पहली बार ईएसजी रेटिंग प्रदान करने का कार्य करने जा रहा है ।

2. पात्रता मानदंड

2.1. आवेदक के संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों) [प्रोमोटर] ने किस श्रेणी के तहत आवेदन किया है (कृपया विनियम 28ङ देखें) ।

2.2. संप्रवर्तकों के नाम और उनके पास आवेदक के कितने शेयर हैं ।

2.3. चार्टर्ड अकाउंटेंट से लिया हुआ प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) संलग्न करें, जिसमें संप्रवर्तक की शुद्ध-मालियत को प्रमाणित किया गया हो ।

2.4. अंतिम लेखापरीक्षित (ऑडिटेड) लेखों (जो आवेदन की तारीख से तीन महीने से ज्यादा पुराने न हों) के अनुसार आवेदक की लिक्विड नेटवर्थ और यह प्रमाणित करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट से लिया गया प्रमाणपत्र ।

3. निदेशकों / मुख्य कर्मचारी के विवरण

3.1. आवेदक के निदेशकों के विवरण, जिनमें शामिल हैं – उनका नाम, योग्यता, अनुभव, उनके पास आवेदक के कितने शेयर हैं और किसी अन्य निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) में निदेशक पद और साथ ही निदेशकों के पहचान के सबूतों और पते के सबूतों की प्रतियाँ।

3.2. आवेदक के मुख्य कर्मचारियों के विवरण, जिनमें शामिल हैं – उनका नाम, आवेदक में उनका पद, योग्यता और पहले वे कौन-कौन से पद पर रहे हैं, उनका अनुभव, आवेदक में नियुक्ति की तारीख और उनके द्वारा देखे जाने वाले कार्य ।

4. बुनियादी सुविधाएँ

4.1. बुनियादी सुविधाओं के ब्यौरे, जिनमें शामिल हैं – कंपनी के यहाँ कंप्यूटर आदि की क्या सुविधाएँ मौजूद हैं, कार्यालय में स्थान कितना है, क्या-क्या जरूरी सामान आदि हैं, कंपनी के यहाँ कितने कर्मचारी हैं, कंपनी के यहाँ अनुसंधान (रिसर्च) की क्या सुविधाएँ मौजूद हैं और कंपनी का डाटाबेस संबंधी सुविधाएँ और यह जानकारी कि क्या आवेदक जो रेटिंग संबंधी कार्य करना चाहता है, उनके लिए मौजूदा बुनियादी सुविधाएँ पर्याप्त हैं ।

4.2. बुनियादी सुविधाएँ बढ़ाने / उनमें सुधार करने की क्या कोई और योजना है, और यदि वह अपने कार्य बाहर कहीं किसी भी स्थान से कर रहा हो, तो इस संबंध में घोषणा प्रस्तुत की जाए ।

5. बड़े शेयरधारक

5.1. नीचे दिए गए फॉर्मेट में बड़े शेयरधारकों (जिनके पास स्वयं या सहयोगियों के शेयर मिलाकर आवेदक के पाँच प्रतिशत या उससे अधिक शेयर हों) की सूची:

__________ तक की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता

शेयरधारक का नाम	कितने शेयर हैं	कंपनी की कुल समादत्त पूँजी (पेड-अप कैपिटल) में हिस्सा (% में)

6. सहयोगी कंपनियाँ आदि

6.1. सहयोगी कंपनियों आदि के विवरण, जिनमें शामिल हैं – उनका नाम, पता, वे किस तरह का कार्य करती हैं, सहयोगी कंपनी आदि में आवेदक के हित का स्वरूप, सहयोगी कंपनी आदि में आवेदक के संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों) के हित का स्वरूप ।

6.2. क्या बोर्ड ने आवेदक के सहयोगी को ईएसजी रेटिंग प्रदाता के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया है या उसके रजिस्ट्रीकरण को नामंजूर किया है । आवेदन की तारीख, नामंजूर किए जाने की तारीख / रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने की तारीख, नामंजूर किए जाने के कारण आदि भी बताएँ ।

7. कंपनी के कारोबार की जानकारी

7.1. पूरा पिछला रिकॉर्ड, मुख्य घटनाएँ और किए जा रहे मौजूदा कार्यों की जानकारी के साथ-साथ रेटिंग संबंधी कार्यों और अन्य संबंधित कार्यों में अनुभव के ब्यौरे ।

7.2. यदि आवेदक पहली बार ईएसजी रेटिंग प्रदान करने का कार्य करना चाह रहा हो, तो ऐसे में कंपनी की कारोबार योजना बताई जाए और जिसमें यह भी बताया जाए कि जिस कार्य के लिए रजिस्ट्रीकरण की माँग की जा रही है उस कार्य का दायरा कितना बड़ा होगा और कितनी आमदनी हो सकती है ।

7.3. नीचे दी गई सारणी में पिछले तीन वर्षों में किए गए रेटिंग संबंधी कार्यों के विवरण दें:

ग्राहक का नाम	निर्गम (इश्यू) का आकार	निर्गम (इश्यू) किस वर्ष लाया गया	प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) / लिखत (इन्स्ट्रूमेंट) जिसे रेटिंग प्रदान की गई	सूचीबद्ध / असूचीगत

7.4. पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए रेटिंग संबंधी अन्य कार्यों के ब्यौरे ।

7.5. कोई अन्य जानकारी, जो आवेदक द्वारा दी गई सेवाओं के संबंध में जरूरी समझी जाए।

8. आवेदक की वित्तीय जानकारी

8.1. लिक्विड नेटवर्थ (लाख रुपये में)

मद	चालू वर्ष के पहले से पहले वाला वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष
(क) समादत्त (पेड-अप) इक्विटी पूँजी			
(ख) खुली आरक्षितियाँ (फ्री रिज़र्व) [पुनर्मूल्यांकन (रीवैल्युएशन) के बाद की आरक्षितियों को छोड़कर]			
कुल (क) + (ख)			
(ग) कुल मिलाकर कितना नुकसान हुआ			
(घ) बट्टे-खाते न डाले गए आस्थगित व्यय (जिसमें बट्टे-खाते न डाले गए विविध व्यय भी शामिल हैं)			
शुद्ध-मालियत (क) + (ख) – (ग) – (घ)			

8.2. कृपया पिछले तीन वर्षों के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे प्रस्तुत करें । यदि अलेखापरीक्षित रिपोर्टें प्रस्तुत की जाती हैं, तो उसके कारण बताएं । यदि पिछले लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे तैयार किए जाने के बाद न्यूनतम लिक्विड नेटवर्थ संबंधी अपेक्षा पूरी की गई हो, तो ऐसे में किसी बाद की तारीख के लेखापरीक्षित लेखा विवरण भी प्रस्तुत किए जाएँगे।

8.3. यह घोषणा दी जाए कि आवेदक की लिक्विड नेटवर्थ इन विनियमों के अनुसार है, जिसके लिए जरूरी दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जाएँ ।

8.4. आवेदक के मुख्य बैंकरों के नाम और पते

8.5. लेखापरीक्षकों (ऑडिटर) के नाम और पते

9. अन्य जानकारी

9.1. आवेदक कंपनी, उसके निदेशकों और कर्मचारियों के खिलाफ चल रहे सभी मुकदमों के ब्यौरे :

विवाद का प्रकार	पक्षकार (पार्टी) का नाम	स्थिति

9.2. यदि पिछले तीन वर्षों में ऐसी किसी कानूनी कार्रवाई, जिसका संबंध प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) से हो, में आवेदक या उसके किसी निदेशक या उसके प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति पर कोई आरोप आदि लगाया गया हो, तो उसके ब्यौरे;

9.3. ईएसजी रेटिंग प्रदाता के रूप में बोर्ड के पास प्रस्तुत किए गए पिछले आवेदन, यदि कोई हो, के ब्यौरे ।

9.4. यदि आवेदक को पहले कभी बोर्ड द्वारा 'उपयुक्त तथा उचित' व्यक्ति न माना गया हो, तो उसके ब्यौरे प्रस्तुत करें ।

10. घोषणा

10.1. नीचे दी गई घोषणा प्रस्तुत की जाए (जिस पर दो निदेशकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएँ):

मैं/हम, एतद्वारा, प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करता हूँ/करती हूँ / करते हैं ।

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ / करते हैं कि मैंने/हमने ऊपर दिए गए प्रश्नों के सत्यतापूर्वक और पूर्ण रूप से उत्तर दिए हैं और वह समस्त जानकारी दे दी है जो मेरे/हमारे रजिस्ट्रीकरण के लिए जरूरी समझी जा सकती है ।

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ / करते हैं कि आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारी पूर्ण और सही है ।

(आवेदक का नाम)

के लिए और उसकी ओर से

निदेशक निदेशक

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

तारीख तारीख

फॉर्म – ख

ईएसजी रेटिंग प्रदाता के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

I. बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) [सेबी अधिनियम] के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पठित, सेबी अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा, इन विनियमों के अनुसार और इन विनियमों में दी हुई शर्तों के तहत, ईएसजी रेटिंग प्रदान करने का कार्य करने के लिए, श्रेणी - _______________ के अंतर्गत __________________ को ईएसजी रेटिंग प्रदाता के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है ।

II. ईएसजी रेटिंग प्रदाता की रजिस्ट्रीकरण सं. है : आईएन/ईआरपी/(श्रेणी)/ ____________ ।

III. यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब तक मान्य रहेगा, जब तक इसे बोर्ड द्वारा निलंबित या रद्द न कर दिया जाए ।

स्थान:

तारीख: **आदेश द्वारा**

____

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
के लिए और की ओर से

छठी अनुसूची

[विनियम 28ग और 28छ देखें]

ईएसजी रेटिंग प्रदाताओं के लिए फीस

भाग-क

क्र. सं.	विवरण	दी जाने वाली फीस
1.	रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन फीस	50,000
2.	रजिस्ट्रीकरण फीस (क) श्रेणी-I (ख) श्रेणी-II	 (क)10,00,000 (ख)1,00,000

3.	आवर्ती रजिस्ट्रीकरण फीस (प्रत्येक तीन वर्ष के लिए) (क) श्रेणी-I (ख) श्रेणी-II	(क)5,00,000 (ख)50,000

फीस के रूप में अदा की जाने वाली रकम

भाग-ख

1. जिस ईएसजी रेटिंग प्रदाता को प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो, वह, भाग-क की मद 2 में दी हुई फीस, बोर्ड की ओर से सूचना मिलने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर अदा करेगा।

2. जिस ईएसजी रेटिंग प्रदाता को प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो, वह, अपना रजिस्ट्रीकरण जारी रखने के लिए, प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने की तारीख से छठे वर्ष से प्रत्येक तीन वर्षों हेतु, भाग-क की मद 3 में दी हुई फीस अदा करेगा।

3. उपरोक्त फीस ऑनलाइन ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए बैंक खाते में सीधे जमा करके अदा की जाएगी।

4. भाग-क के पैरा 3 के अनुसार प्रत्येक तीन वर्षों हेतु अदा की जाने वाली रजिस्ट्रीकरण फीस (आवर्ती/रिकरिंग) ईएसजी रेटिंग प्रदाता द्वारा उस अवधि के समाप्त होने से एक महीने पहले अदा की जाएगी, जिस अवधि के लिए फीस अदा की चुकी है।

सातवीं अनुसूची

[विनियम 28ञ देखें]

ईएसजी रेटिंग प्रदाताओं के लिए आचार संहिता

1. ईएसजी रेटिंग प्रदाता निवेशकों के हितों का संरक्षण करने के लिए सभी प्रयास करेगा।

2. ईएसजी रेटिंग प्रदाता अपना समस्त कारोबार पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्पक्षता से करेगा।

3. ईएसजी रेटिंग प्रदाता तत्परता से, नैतिकता से और पेशेवर ढंग से अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा।

4. ईएसजी रेटिंग प्रदाता, हमेशा पूरी तत्परता बरतेगा, पूरी सावधानी बरतेगा और स्वतंत्र रूप से एवं पेशेवर ढंग से निर्णय लेगा, ताकि ईएसजी रेटिंग की प्रक्रिया में निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनी रहे।

5. ईएसजी रेटिंग प्रदाता जो भी निर्णयों लेगा, उनसे जुड़े दस्तावेजों आदि का रिकॉर्ड संभालकर रखेगा।

6. ईएसजी रेटिंग प्रदाता ईएसजी रेटिंग हेतु प्रक्रियाएँ निर्धारित करेगा और उनके अनुसार अपने कामकाज करेगा, ताकि इस तरह से रेटिंग के संबंध में एक जैसी प्रक्रिया का पालन होता रहे।

7. ईएसजी रेटिंग प्रदाता न तो किसी अनुचित प्रतिस्पर्धा में शरीक नहीं होगा, और न ही किसी दूसरे ईएसजी रेटिंग प्रदाता के ग्राहकों को अधिक या कम ईएसजी रेटिंग का आश्वासन देकर प्रलोभन देगा या उन्हें अपना ग्राहक बनाएगा।

8. ईएसजी रेटिंग प्रदाता ने जिन निर्गमकर्ताओं (इश्युअर) या प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को रेटिंग दी हुई हो और यदि उन निर्गमकर्ताओं (इश्युअर) या प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के संबंध में कोई भी बड़ा बदलाव होता है तो वह उन पर नजर रखेगा और इसके लिए वह ऐसी व्यवस्थाएँ भी निर्धारित करेगा कि वह इस प्रकार हुए बदलावों के मद्देनज़र समय पर और सही-सही रेटिंग दे पाए।

9. ईएसजी रेटिंग प्रदाता उन सभी जरूरी पहलुओं पर भी बारीकी से अपनी नज़र बनाए रखेगा, जिनकी वजह से उन निर्गमकर्ताओं (इश्युअर) के स्तर पर ईएसजी संबंधी मानदंडों के पालन पर असर पड़ सकता हो, जिन्हें या जिनकी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को उसने रेटिंग दी हो।

10. ईएसजी रेटिंग प्रदाता, जहाँ जरूरी हो, अपने ग्राहकों को उन सभी संभावित परिस्थितियों की जानकारी देगा, जहाँ कर्तव्य-विरोध और हित-विरोध की वजह से उनकी निष्पक्ष और सही रेटिंग देने की क्षमता पर असर पड़ सकता हो ।

11. ईएसजी रेटिंग प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि रेटिंग का विश्लेषण करने वाले किसी सदस्य और उस व्यक्ति के बीच किसी प्रकार का हित-विरोध न हो, जिसे या जिससे संबंधित प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को रेटिंग दी जा रही हो ।

12. ईएसजी रेटिंग प्रदाता कोई भी सेवा प्रदान किए जाने के संबंध में ग्राहक को न तो अपनी योग्यता और न ही अपनी क्षमता के बारे में और न ही दूसरे ग्राहकों को प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अपनी उपलब्धियों के बारे में, बढ़ा-चढ़ाकर बताएगा (न तो मौखिक रूप से और न ही लिखित में) ।

13. ईएसजी रेटिंग प्रदाता बोर्ड और स्टॉक एक्सचेंज के पास प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों, प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टों या जानकारी में अथवा आम जनता के लिए जारी किए जाने वाले दस्तावेजों, प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टों या जानकारी में न तो किसी तरह की कोई गलत बयानबाजी करेगा और न ही कोई अहम तथ्य छिपाएगा ।

14. यदि ईएसजी रेटिंग प्रदाता के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई या कानूनी कार्यवाही आदि शुरू की जाती है, जिसमें उस पर यह आरोप लगाया गया हो कि उसने उस पर लागू किसी कानूनी प्रावधान, नियम, विनियम का और बोर्ड या किसी अन्य विनियामक निकाय (रेग्यूलेटरी बॉडी) के निदेशों का या तो कोई उल्लंघन किया है या उनका पालन नहीं किया है, तो वह उसकी सूचना तुरंत बोर्ड को देगा ।

15. ईएसजी रेटिंग प्रदाता सदैव यह सुनिश्चित करेगा कि उसके यहाँ कार्यरत व्यक्ति न केवल अपने कार्यों के जानकार हों बल्कि अपने कार्यों में सक्षम भी हों, और साथ ही वह अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों का और जारी किए गए परिपत्रों का पालन सुनिश्चित करेगा, जो ईएसजी रेटिंग प्रदाता द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संबंध में लागू हों ।

16. ईएसजी रेटिंग प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास जो भी जानकारी (जिसमें ईएसजी रेटिंग के संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों या रेटिंग में किए जाने वाले बदलावों की जानकारी शामिल है) रहती है उसका किसी भी तरह से कोई गलत इस्तेमाल न हो।

17. ईएसजी रेटिंग प्रदाता या उसका कोई भी कर्मचारी, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसी किसी प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) या ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में कोई निवेश सलाह मीडिया (जिस तक आम जनता की पहुँच हो) के माध्यम से नहीं देगा, जिस प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) को रेटिंग दी जा रही हो या जिस व्यक्ति को रेटिंग दी गई हो या जिस व्यक्ति की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को रेटिंग दी गई हो ।

18. ईएसजी रेटिंग प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि रजिस्ट्रीकरण की स्थिति में हुए ऐसे किसी बदलाव या वित्तीय स्थिति में हुए ऐसे किसी महत्त्वपूर्ण बदलाव या फिर बोर्ड द्वारा की गई ऐसी किसी शास्तिक (दांडिक) कार्रवाई की जानकारी ग्राहकों को तुरंत दी जाए, जिससे ग्राहकों या निवेशकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो, और यदि कोई कार्य आदि करना बाकी हो तो उसे प्रभावित ग्राहकों या निवेशकों के अनुदेशों के अनुसार किसी दूसरे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सौंप दिया जाए ।

19. ईएसजी रेटिंग प्रदाता ईएसजी रेटिंग से जुड़े अपने कार्यों और दूसरे कार्यों के बीच समुचित दूरी बनाकर रखेगा ।

20. ईएसजी रेटिंग प्रदाता अपने आंतरिक कार्यों के संबंध में आंतरिक स्तर पर आचार संहिता निर्धारित करेगा, जिसका पालन ईएसजी रेटिंग प्रदाता के कार्यों के संबंध में उसके कर्मचारियों और अधिकारियों को करना होगा । इस आचार संहिता में विभिन्न पहलुओं का समावेश किया जाएगा जैसे – पेशेवर ढंग से और बेहतरीन ढंग से कामकाज हो, ईमानदारी बरती जाए, गोपनीयता रखी जाए, निष्पक्षता रखी जाए, हित-विरोध से बचा जाए, किस-किस के पास कितने शेयर हों, आदि । इस आचार संहिता में रेटिंग की प्रक्रिया से जुडे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रक्रियाएँ और दिशानिर्देश भी निर्धारित किए जाएँगे।

21. ईएसजी रेटिंग प्रदाता अपने अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस ऑफिसर) को इतनी शक्तियाँ देगा कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से कर पाए ।

22. ईएसजी रेटिंग प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि प्रबंध-मंडल के वरिष्ठ व्यक्तियों, विशेष रूप से निर्णय लेने वाले व्यक्तियों को उसके कारोबार के बारे में समस्त जरूरी जानकारी समय पर मिल पाए ।

23. ईएसजी रेटिंग प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि वह अच्छी कारपोरेट नीतियों और अच्छे कंपनी संचालन (कारपोरेट गवर्नेंस) संबंधी नीतियों को अपनाए और उनका पालन करे।

24. ईएसजी रेटिंग प्रदाता जिन निर्गमकर्ताओं (इश्युअर) या प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को रेटिंग देता हो, वह उनके संबंध में, किसी भी प्रकार से —

(क) न तो बनावटी सौदेबाजी करेगा और न ही उसमें शरीक होगा;

(ख) न तो कीमतों में किसी भी तरह से हेराफेरी करेगा और न ही उसमें शरीक होगा; या

(ग) किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) या सूचीबद्ध होने वाली प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) से संबंधित 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी' (यू.पी.एस.आई.) किसी को देगा, और न ही उसे देने में किसी भी तरह से शरीक होगा, हालांकि प्रदान की जाने वाली रेटिंग के संबंध में यदि ऐसा करना उसके लिए जरूरी होगा तो वह ऐसा कर सकेगा ।"

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./246/2023-24]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 भारत के राजपत्र में प्रकाशित तारीख 7 जुलाई 1999 की का.आ. सं. 547(अ) के अधीन जारी हुए थे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 तत्पश्चात्-

क. 28 मार्च 2000 को का.आ. सं. 278(अ) द्वारा राजपत्र में प्रकाशित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000 द्वारा

ख. 29 मई 2001 को, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 476(अ), द्वारा

ग. 27 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का.आ. सं. 1045(अ), द्वारा

घ. 19 फरवरी 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं. 203(अ), द्वारा

ङ. 1 अक्तूबर 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं. 1160(अ), द्वारा

च. 10 मार्च 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398(अ), द्वारा

छ. 7 सितम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1454(अ), द्वारा

ज. 26 मई 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2008/11/126538, द्वारा

झ. 19 मार्च 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2010, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2009-2010/30/199044, द्वारा

ञ. 13 अप्रैल 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2011-12/03/12650, द्वारा

ट. 5 जुलाई 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2011-12/10/21232, द्वारा

ठ. 27 दिसम्बर 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/31/39022, द्वारा

ड. 23 मई 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा

ढ. 8 दिसम्बर 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/023, द्वारा

ण. 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 (तारीख 29 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित), द्वारा

त. 30 मई 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018-15, द्वारा

थ. 11 सितम्बर 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/36, द्वारा

द. 23 सितम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/34, द्वारा

ध. 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा

न. 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/23, द्वारा

प. 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/29, द्वारा

फ. 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

ब. 24 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/जी.एन./2022/69, द्वारा

भ. 17 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के नियंत्रण में परिवर्तन)] (संशोधन), 2023 अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/115, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd July, 2023

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (CREDIT RATING AGENCIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2023

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/136.—In exercise of the powers conferred under section 30 read with section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999, namely: -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2023.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999,

(1) After Chapter IV and before Chapter V, the following shall be inserted, namely –

"**CHAPTER IVA**

ESG RATING PROVIDERS

Applicability

28A. The provisions of these regulations, except chapters II, III, and IV, shall be applicable to ESG rating providers:

Provided that any reference to a "credit rating agency" under chapters I, V, VI and VII shall also be construed as a reference to an "ESG rating provider", as may be applicable:

Provided further that the provisions of this Chapter shall only be applicable to ESG rating providers covered in the Fourth Schedule.

Definitions

28B. (1) In this chapter, unless the context otherwise requires: -

(a) "client" means any person who avails or proposes to avail the services of an ESG rating provider;

(b) "environmental, social, and governance ratings", or "ESG ratings" means the rating products that are marketed as opinions about an issuer or a security, regarding its ESG profile or characteristics or exposure to ESG risk, governance risk, social risk, climatic or environmental risks, or impact on society, climate and the environment, that are issued using a defined ranking system of rating categories, whether or not these are explicitly labelled as "ESG ratings";

(c) "ESG rating provider" means a person which is engaged in, or proposes to engage in, the business of issuing ESG ratings;

(d) "liquid net worth" means net worth deployed in liquid assets which are unencumbered;

Explanation. – For the purposes of this chapter,

(i) "liquid asset" is a low risk asset that can easily be converted into cash in a short period of time, such as cash, fixed deposits, government securities, treasury bills and repo on government securities.

(ii) "Net Worth" means the aggregate value of the paid up equity capital and free reserves (excluding reserves created out of revaluation), reduced by the aggregate value of accumulated losses and deferred expenditure not written off, including miscellaneous expenses not written off;

(e) "issuer" means any person who is, or whose securities are, rated or proposed to be rated by an ESG rating provider; and

(f) "promoter" shall have the meaning assigned to it in Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018.

Registration of ESG rating providers

28C. On and from the date of this regulation coming into force, no person shall act as an ESG rating provider unless it has obtained a certificate from the Board:

Provided that a person acting as an ESG Rating Provider on the date of this regulation coming into force, may continue to do so for a period of six months from the date of this regulation coming into force or such other period as may be specified by the Board, or if it has made an application for grant of a certificate for registration within the specified period, till the disposal of such application.

Application for grant of certificate

28D. (1) Any person intending to undertake business as an ESG rating provider, on or after this chapter coming into force, shall make an application to the Board for grant of a certificate.

(2) An application for the grant of a certificate to act as an ESG rating provider shall be made to the Board, in *Form A* of the Fifth Schedule.

(3) The application shall be accompanied by a non–refundable application fee, as specified in Part A of the Sixth Schedule, to be paid in the manner specified in Part B of the Sixth Schedule.

(4) The application under sub-regulation (2) shall be made for seeking registration in any one of the following categories, namely –

(a) Category I; or

(b) Category II.

Eligibility criteria

28E. For the purpose of the grant of certificate, the applicant shall fulfil the following criteria namely, —

(a) the applicant shall be incorporated as a company under the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(b) the applicant shall have specified ESG rating activity, as the main object in its Memorandum of Association;

(c) the applicant shall have submitted, to the Board, its business plan pertaining to providing ESG ratings, along with the following information, namely –

(i) a target breakeven date;

(ii) target revenue and the targeted number of clients it plans to service, within two years of obtaining a certificate; and

(iii) cumulative cash losses that the applicant projects to incur until the targeted breakeven date, along with the activities or areas in which such losses shall be incurred;

Explanation. – The targets mentioned in clause (c) of this regulation shall:

A. be set by the applicants themselves;

B. be limited to their operations in securities markets, i.e. related to issuers that are listed, or proposed to be listed, or whose securities are listed or proposed to be listed, on a recognized stock exchange; and

C. be reasonable;

(d) the applicant shall have submitted a declaration that it does not and shall not undertake any activity or offer any product or service, except the following:

(i) ESG rating of an issuer, that is listed or proposed to be listed on a stock exchange recognized by the Board, or

(ii) ESG rating of a security, that is listed or proposed to be listed on a stock exchange recognized by the Board, or

(iii) Offering any other product or service or undertaking any other activity as may be specified by the Board, or

(iv) ESG rating of any other product or issuer, as may be required by another financial sector regulator or authority, as may be specified by the Board, under the guidelines of such regulator or authority:

Provided that a Category II ESG rating provider shall not undertake certification of green debt securities or such other activities as the Board may specify from time to time.

(e) the applicant shall have and shall maintain the net worth as required under the provisions of these regulations:

Provided that the net worth shall be in the form of positive liquid net worth;

(f) the applicant shall have necessary infrastructure including adequate office space, technology, equipment and manpower, to enable it to provide ESG rating services in accordance with the provisions of the Act and these regulations:

Provided that the requirement of having an office space shall not be mandatory for a Category II ESG rating provider if it conducts its operations remotely subject to a declaration by it to this effect;

(g) the applicant is not a credit rating agency or any other intermediary registered with the Board;

(h) the applicant shall have appointed a compliance officer;

(i) the applicant shall have, in its employment, persons with adequate professional and other relevant experience to the satisfaction of the Board;

(j) the applicant and its promoter(s), are fit and proper person(s), as per Schedule II of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008;

(k) the applicant, during the past three years from the date of filing the application, has not been –

(i) refused by the Board a certificate under these regulations, or

(ii) deemed not fit and proper by the Board, or

(iii) subject to any enforcement action for a contravention of the Act or of any rules or regulations made under the Act.

(l) the grant of certificate to the applicant would be in the interest of investors;

(m) the applicant shall have, in case it is seeking registration under Category I, satisfied the following additional criteria, namely –

(i) the applicant is a subsidiary of an intermediary registered with the Board, or of ESG rating provider incorporated in a Financial Action Task Force (FATF) member jurisdiction and recognized under their respective law, having a minimum experience of five years in ESG rating of securities or companies;

(ii) the promoter of the applicant is:

A. a person regulated by any of the financial sector regulators namely, the Board, the Reserve Bank of India, the Insurance Regulatory and Development Authority of India or the Pension Fund Regulatory and Development Authority, subject to the receipt of the relevant approval(s) from the concerned regulator or authority; or

B. a foreign ESG rating provider incorporated in the jurisdiction of a member of the Financial Action Task Force (FATF) and recognized under their respective law, having a minimum experience of five years in the business of providing ESG rating of securities or companies; or

C. a body corporate with a continuous net worth of minimum rupees one hundred crores, as per its audited annual accounts for the previous five years, prior to filing of the application with the Board for the grant of certificate:

(iii) the promoter of the applicant shall maintain a minimum shareholding of twnety six per cent. in the ESG rating provider for a minimum period of five years from the date of grant of registration by the Board;

(iv) the applicant shall maintain a minimum liquid net worth of rupees five crores at all times:

Provided that at the time of making the application, the applicant shall have a minimum liquid net worth of the higher of,

A. rupees ten crores, or

B. addition of rupees five crores and the target on cumulative cash losses until breakeven, as provided by the applicant under these regulations:

Provided further that the liquid net worth can be drawn down in terms of the business plan submitted at the time of application for certificate, subject to compliance with these regulations;

(v) the applicant shall have at least four employees specialized across the following areas, at all times:

A. governance,

B. sustainability,

C. social impact or social responsibility,

D. data analytics,

E. finance,

F. information technology, and

G. law.

Explanation. – For the purposes of this regulation, one employee may be treated as a specialist in at most two of the above areas. A person shall be considered as specialized in an area if such person possesses any of the following:

A. relevant work experience of not less than five years in the specified area; or

B. a professional qualification in the specified area from a university or an institution recognized by the Central Government or any State Government or a foreign university, or a Chartered Financial Analyst charter from the Chartered Financial Analyst Institute; or

C. any other qualification as may be specified by the Board;

(n) the applicant shall, in case it is seeking registration under Category II, satisfy the following additional criteria, namely –

(i) the applicant shall maintain minimum liquid net worth of rupees ten lakh at all times:

Provided that at the time of making the application, the applicant shall have a minimum liquid net worth of the higher of,

A. rupees twenty lakhs; or

B. addition of rupees ten lakhs and the target on cumulative cash losses until breakeven, as provided by the applicant under these regulations:

Provided further that the liquid net worth can be drawn down in terms of the business plan submitted at the time of application for certificate, subject to compliance with these regulations;

(ii) the applicant shall have at least two employees specialized across the following areas, at all times:

A. governance,

B. sustainability,

C. social impact or social responsibility, and

D. data analytics.

Explanation. – For the purposes of this regulations, one employee may be treated as a specialist in at most two of the above areas. A person shall be considered as specialized in an area if such person possesses any of the following:

(a) has relevant work experience of not less than five years in the specified

area; or

(b) a professional qualification in the specified area from a university or an institution recognized by the Central Government or any State Government or a foreign university; or

(c) any other qualification as may be specified by the Board;

(o) any other criteria, as may be specified by the Board, from time to time.

Furnishing of further information, clarification and personal representation

28F. (1) The Board may require the applicant to furnish any such further information or clarification regarding the activities of the ESG rating provider or any such matter connected thereto, to consider the application for grant of a certificate or after registration thereon.

(2) The Board, if it so desires, may further require the applicant or its authorized representative to appear before it, for personal representation in connection with the grant of a certificate.

Grant of certificate as an ESG rating provider

28G. (1) The Board may grant certificate under any category of ESG rating provider, if it is satisfied that the applicant fulfils the requirements for that category.

(2) The Board shall, on being satisfied that the applicant is eligible, grant a certificate in *Form B* of Fifth Schedule, and shall send an intimation to the applicant.

(3) The certificate of registration granted under this regulation shall be valid unless it is suspended or cancelled by the Board, or surrendered by the ESG rating provider.

Conditions of certificate

28H. The certificate granted under this chapter shall be subject to the following conditions:

(a) the ESG rating provider shall comply with the provisions of the Act, the regulations made thereunder and the guidelines, directives, circulars and instructions as may be issued by the Board, from time to time;

(b) the ESG rating provider shall forthwith inform the Board, in writing, if any information or particulars earlier furnished to the Board:

(i) is found to be false or misleading in any material particular; or

(ii) has undergone any change subsequent to its furnishing at the time of the application for a certificate.

(c) in case any change in control of the ESG rating provider is proposed, the ESG rating provider shall obtain the prior approval of the Board for continuing to act as such after the change;

(d) the ESG rating provider shall at all times maintain the minimum liquid net worth as required under the provisions of these regulations;

(e) the ESG rating provider shall pay the requisite registration fees in the manner provided in these regulations;

(f) the ESG rating provider shall meet the targets, declared at the time of its application to the Board, within the specified time:

Provided that the above shall not be applicable with respect to projections on cumulative cash losses:

Provided further that in case that the targets are not achieved, the ESG rating provider shall be required to contribute additional capital or take other remedial measures, as appropriate and as may be specified by the Board, within six months of the date of the corresponding target date, or other such period as may be specified by the Board;

(g) the ESG rating provider does not undertake any activity or offer any product or service, except services related to ESG ratings in accordance with these regulations or such other products, services or activities as may be specified by the Board or activities incidental to such activities.

Procedure where certificate is not granted

28I. (1) If, after considering an application made under this Chapter, the Board is of the opinion that a certificate should not be granted, it may, after giving the applicant a reasonable opportunity of being heard, reject the application.

(2) The decision of the Board, not to grant certificate under sub-regulation (1), shall be communicated by the Board to the applicant within a period of thirty days of such decision, stating the grounds of the decision.

(3) Any applicant aggrieved by the decision of the Board rejecting his application under sub-regulation (1) may, within a period of thirty days from the date of receipt by him of the communication referred to in sub-regulation (2), apply to the Board in writing for reconsideration of such decision.

(4) Where an application for re-consideration is made under sub-regulation (3), the Board shall consider the application and communicate to the applicant its decision in writing, as soon as may be.

Code of Conduct

28J. The ESG rating provider shall abide by the Code of Conduct as set out in the Seventh Schedule.

Transparency, governance and prevention of conflict of interest

28K. The ESG rating provider shall:

(a) maintain a website and disclose the ESG ratings, type of ESG rating (whether risk-based or impact-based or otherwise), scores on environmental, social and governance parameters and other parameters forming a part of the ESG rating, on such a website for public access and provide a hyperlink to the methodology of assigning an ESG rating;

(b) prioritize adequate levels of public disclosure and transparency for its ESG ratings products, including its methodologies and processes;

(c) disclose its rating methodology for all ESG ratings on its website, while maintaining a balance with respect to proprietary or confidential aspects of the methodologies, and include category-wise weightages of environmental, social, and governance factors in ESG ratings, as well as the weightage of high-level themes or key issues in each of the three factors;

(d) disclose the category under which the ESG rating provider is registered in all its disclosures related to ESG ratings on its website;

(e) use terminologies which are relevant and reflective of the characteristics of the ESG ratings product offered and, if the ESG rating provider is an associate or subsidiary of a credit rating agency, the ESG rating provider shall prominently display that ESG ratings are different from credit ratings, through its website and the ESG rating reports;

(f) disclose the changes in the ESG rating methodology and consequential changes in ESG ratings on its website;

(g) disclose the extent to which a change in ESG rating is on account of the change in the ESG rating methodology;

(h) maintain and disclose archives of previous ESG rating methodologies and ESG ratings on its website, in an easily downloadable and machine-readable format, preferably in eXtensible Business Reporting Language;

(i) publish its average one-year ESG rating transition rate on its respective website, in a manner as may be specified by the Board;

(j) disclose, on its website, the general nature of compensation arrangements with clients and whether the ESG ratings assigned were solicited or unsolicited;

(k) take other measures that the Board may consider material for a true and fair understanding of the ESG rating;

(l) identify, disclose, and to the extent possible, avoid or appropriately mitigate potential conflicts of interest;

(m) formulate policies and internal codes of conduct for dealing with conflicts of interest and prominently disclose the policies on its website;

(n) identify, disclose and, to the extent possible, mitigate potential conflict of interest that may arise between ESG rating provider and its clients or client groups, or between multiple clients, or between the rated issuer or issuer whose securities are being rated and other clients or client groups, or between the ESG Rating Provider and any other sources;

(o) ensure that ESG ratings are not affected by any existing or potential business relationship between the ESG rating provider or its associates and any person for which it provides ESG ratings or associates of such person;

(p) structure reporting lines for its staff and their compensation arrangements to eliminate or to the extent possible, mitigate actual and potential conflicts of interest;

(q) not provide consulting or advisory services relating to or any areas related to environmental, social and governance aspects including ESG ratings; and

(r) adopt and implement written policies and procedures to ensure that its decisions are independent, free from any form of undue interference or influence.

Rating process and monitoring of ESG rating

28L. (1) An ESG rating provider shall:

(a) have appropriate internal resources to assign an ESG rating;

(b) inform the general public of new ESG rating instruments or symbols introduced by it;

(c) ensure that the ESG rating suitably incorporates the environmental, social and governance aspects that are contextual to the Indian market, in such manner as may be specified by the Board from time to time:

Provided that nothing contained above shall preclude the ESG rating provider from offering additional ESG rating products or services.

(d) promptly disclose the ESG rating assigned to any issuer or security, and any changes in ESG ratings or reviews, after periodic review or otherwise, to the stock exchange(s) where the issuer or the security is listed, and on its website, and issue press releases for the information of the investors;

(e) have written policies, procedures and internal controls to ensure that the processes and methodologies are rigorous and systematic, are consistently applied, and are periodically reviewed and updated;

(f) adopt and implement written policies and procedures to ensure the issuance of high quality ESG ratings based on publicly available information, and if such information is not available publicly, then rely on other information sources using transparent and defined methodologies;

(g) have efficient systems to track material developments related to environmental, social and governance factors to ensure timely and accurate ESG ratings;

(h) attempt to continually improve information gathering processes in respect of the issuers and securities rated by it;

(i) respond to, and address issues flagged by issuers covered by its ESG rating products while ensuring that the same does not compromise the objectivity of the products; and

(j) share the draft ESG rating report with the rated issuer or the issuer whose securities are being rated, before publication of the same:

Provided that the ESG rating provider shall grant an opportunity of appeal and representation, if requested for by the issuer.

(2) The ESG rating provider shall continuously monitor the rating of a client, unless the rating is withdrawn in such manner as may be specified by the Board.

Procedure for review of ESG rating

28M. (1) The ESG rating provider shall annually, or if required, more frequently, review each of the published ESG ratings, unless the ESG rating is withdrawn in accordance with these regulations.

(2) The ESG rating provider shall not withdraw an ESG rating except in cases where the rated issuer, or the issuer whose security is rated, is wound up or merged or amalgamated with another company, or except in cases as may be specified by the Board from time to time.

(3) The ESG rating provider shall withdraw an ESG rating as per its documented policies, subject to sub-regulation (2), which shall also be disclosed on its website.

(4) If the rated issuer or the issuer whose securities are rated by the ESG rating provider refuses co-operate with the ESG rating provider regarding the review of the ESG rating, despite being under a contractual obligation to do so, the ESG rating provider shall review the ESG rating on the basis of the best available information, in such manner as specified by the Board, from time to time:

Provided that if an ESG rating has been provided based on the best available information owing to lack of co-operation by the rated issuer or the issuer whose securities are rated, the ESG rating provider shall disclose the same to the investors.

Internal procedures to be framed

28N. (1) An ESG rating provider shall frame appropriate procedures and systems for monitoring the trading of securities by its employees in the securities of its clients, in order to prevent contravention of –

(a) the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

(b) the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to the Securities Market) Regulations, 2003; and

(c) other laws relevant to trading in securities.

Disclosure of ESG rating definitions

28O. The ESG rating provider shall, while disclosing ESG ratings, also disclose:

(a) the definitions of that ESG rating, along with the symbols; and

(b) explicitly state that the ESG ratings do not constitute recommendations to buy, hold or sell any securities.

Submission of information to the Board

28P. (1) The ESG rating provider shall furnish such information as may be called for, by the Board including any report relating to its activities, within such period as may be specified by the Board.

(2) Every ESG rating provider shall, at the close of each accounting period, furnish to the Board copies of its financial statements, in such manner as may be specified by the Board, from time to time.

Appointment of Compliance Officer

28Q. (1) The ESG rating provider shall appoint a compliance officer who shall be responsible for monitoring the compliance of all the applicable laws.

(2) The compliance officer shall immediately and independently report to the Board of any non-compliance observed by him or her.

Maintenance of Books of Accounts records, etc.

28R. (1) Every ESG rating provider shall keep and maintain, for a minimum period of five years, the following books of accounts, records and documents, namely –

(a) copy of its financial statements as on the end of each accounting period;

(b) a copy of the auditor's report on its accounts for each accounting period;

(c) a copy of the agreement entered into with each client, if applicable;

(d) information supplied by each of the clients, if applicable;

(e) correspondence with each client;

(f) ESG ratings assigned to various issuers or securities including up- gradation and down gradation (if any) of the ratings so assigned;

(g) ESG rating notes and other documents which state the rationale or form the basis for assigning an ESG rating;

(h) letter or reports or press releases or disclosures assigning ESG ratings;

(i) particulars of fees charged for ESG ratings; and

(j) such other records as the Board may specify from time to time.

(2) Every ESG rating provider shall intimate to the Board the place where the books of account, records and documents, required to be maintained under these regulations, are being maintained.

Steps on auditor's report

28S. Every ESG rating provider shall, within two months from the date of the report of the auditor, take steps to rectify the deficiencies, if any, made out in such report, in so far as they relate to the activity of ESG rating.

Confidentiality

28T. (1) Every ESG rating provider shall treat, as confidential, the information supplied to it by any person and shall not disclose the same to any other person except where such disclosure is required or permitted by or under any law for the time being in force or the ESG rating provider has obtained the consent, in writing, of the provider of information.

(2) The ESG rating provider shall not use the confidential information, shared by any person for any purpose other than ESG ratings, for undertaking ESG ratings, unless the ESG rating provider obtains the consent, in writing, from the provider of the information.

(3) The ESG rating provider shall adopt and implement written policies and procedures to protect all non-public information received related to their ESG rating products.

Restriction on shareholding in an ESG rating provider

28U. (1) An ESG rating provider shall not:

(a) directly or indirectly, hold ten per cent. or more shareholding or voting rights in any other ESG rating provider, or

(b) have representation on the board of directors of any other ESG rating provider:

Provided that an ESG rating provider may, with the prior approval of the Board, in the interest of investors, market integrity and stability, acquire shares or voting rights exceeding ten per cent. in any other ESG rating provider if such acquisition results in change in control in the ESG rating provider whose shares are being acquired.

(2) A shareholder holding ten per cent. or more shares or voting rights in an ESG rating provider shall not hold ten per cent. or more shares or voting rights, directly or indirectly, in any other ESG rating provider:

Provided that the said restriction shall not apply to holdings by pension funds, insurance schemes and mutual fund schemes.

Explanation. – For the purpose of these regulations, a "ESG rating provider" means a ESG rating provider registered with the Board.

Entities connected with a promoter or a rating agency not to be rated

28V. (1) No ESG rating provider shall, rate an issuer or securities of any issuer, which is a borrower of its promoter or a subsidiary of its promoter or an associate of its promoter, if

(a) there are any common Chairpersons, or directors between the ESG rating provider and the borrower or the subsidiary or the associate of the promoter; or

(b) there are common employees between the ESG rating provider and the borrower or the subsidiary or the associate of the promoter.

(2) No ESG rating provider shall, rate an issuer or securities of any issuer, which is its promoter;

(3) An ESG rating provider shall neither assign any ESG rating to an issuer promoted by it or its associates, nor rate securities of such issuers.

(4) No ESG rating provider shall rate an issuer or securities of such issuer, if the ESG rating provider has a Chairperson, director or employee who is also a Chairperson, director or employee of the issuer:

Provided that the ESG rating provider may, subject to the provisions of sub-regulation (1) rate an entity having a common independent director if, –

(a) the independent director does not participate in the discussions on ESG rating decisions, and

(b) the ESG rating provider makes a disclosure in the ESG rating announcement of such issuer (about the existence of common independent director) on its Board, and that the common independent director did not participate in the rating process or in the meeting of its board of directors, when the rating of such associate was discussed.

Explanation. – For the purposes of this regulation,

(a) "independent director" means a director who, apart from receiving remuneration as a director, does not have any other material pecuniary relationship or transactions with the company, its promoters, its management or its subsidiaries, which in the judgment of the board of the company, may affect the independence of the judgment of such director.

(b) "associate", in relation to a promoter, includes a body corporate in which the promoter holds ten per cent. or more, of the share capital;

(c) "promoter" means a person who holds ten percent or more, of the shares of the ESG rating provider."

(2) After the Third Schedule, the following schedules shall be inserted, namely –

"FOURTH SCHEDULE

[See regulation 28A]

APPLICABILITY OF CHAPTER IVA

S. No.	Location of ESG Rating Provider	Asset class in securities market	Location of ESG Rating User	Applicability of regulations
1.	India	Indian	India	Yes
2.	India	Indian	Outside India	No
3.	India	Global	India	Yes
4.	Outside India	Indian	India	Yes
5.	Outside India	Indian	Outside India	No
6.	Outside India	Global	India	No

FIFTH SCHEDULE

[See regulations 28D and 28G]

FORMS

FORM A

Application for grant of Certificate of Registration as an ESG rating provider

NAME OF THE APPLICANT:

NAME OF THE COMPLIANCE OFFICER:

MOBILE NUMDER:

EMAIL ID:

INSTRUCTIONS FOR FILLING UP FORM -

(a) Applicants must submit, to the Board, a completed application form together with appropriate supporting documents.

(b) This application form should be filled in accordance with the regulations.

(c) Application for registration will be considered, only if it is complete in all respects.

(d) All answers must be typed.

(e) Information which needs to be supplied in detail may be given on separate sheets which

should be attached with the application form.

(f) All signatures on the application must be original.

(g) Every page of the form as well as every additional sheet must be signed by the authorized signatory of the applicant.

(h) Application must be accompanied by an application fee as specified in Sixth Schedule to these regulations.

(i) All mentions of 'ratings' in this Schedule shall be deemed to refer to ESG ratings, unless the context otherwise specifies.

1. PARTICULARS OF THE APPLICANT

1.1. Name, address of the registered office, address for correspondence, mobile number(s), email address of the Applicant. Address of branch offices, if any.

1.2. Name, mobile number and email address of the contact person.

1.3. Category of ESG rating provider for which the application is made.

1.4. If the application is for Category I, please provide the following information, as applicable:

1.4.1. Details of the intermediary registered with the Board, of which the applicant is a subsidiary, or of ESG rating provider registered with any foreign regulatory authority in a Financial Action Task Force (FATF) member jurisdiction and recognized under their law.

1.4.2. Details of the promoters of the applicant.

1.5. Please provide the following information regarding the applicant's operations pertaining to its business of providing ESG ratings:

1.5.1. business plan, and

1.5.2. a target breakeven date, and

1.5.3. target revenue, and target number of clients it plans to service, within two years of obtaining a certificate, and

1.5.4. cumulative cash losses that the applicant projects to incur until the target breakeven date, along with the activities or areas wherein such losses shall be incurred;

1.6. Liquid Net-worth of the applicant and a declaration that (i) after obtaining its registration with SEBI, the ESG Rating Provider may draw down an amount equivalent to paragraph 1.5.4 above only on the areas specified under the business plan submitted at the time of application; and (ii) this amount shall not be used in any other manner, except for incurring such expense or maintained as part of the liquid net worth.

1.7. Date of incorporation of the applicant (enclose certificate of incorporation and memorandum and articles of association). Specify the following:

1.7.1. Objects (Main and Ancillary) of the applicant company; and

1.7.2. Authorized, issued, subscribed and paid-up capital.

1.8. Structure of the applicant, whether it is incorporated as a company limited by shares or guarantee, private or public, or as an unlimited company.

1.9. Whether the applicant is listed. If yes, names of Stock Exchanges and latest share price to be given.

1.10. Whether the Applicant or its associates are registered with the Board or any other regulatory authority in any capacity, along with details of registration.

1.11. Whether the applicant belongs to or is related to:

1.11.1. any person already in the business of undertaking ESG rating activities

1.11.2. any person proposing to undertake ESG rating activities for the first time.

2. ELIGIBILITY CRITERIA

2.1. Category under which the promoter(s) of the applicant belong to (refer regulation 28E).

2.2. Names of the promoters and their shareholding in the applicant.

2.3. Enclose a certificate obtained from a Chartered Accountant certifying the net worth requirements of the promoter, if applicable.

2.4. Liquid net worth of the applicant as per the last audited accounts, not earlier than three months from the date of application along with a certificate obtained from a Chartered Accountant certifying the same.

3. PARTICULARS OF DIRECTORS/KEY PERSONNEL

3.1. Particulars of directors of the applicant, including the name, qualification, experience, shareholding in the applicant and directorship in other bodies corporate along with copies of identity proofs and address proofs of the directors.

3.2. Particulars of key personnel of the applicant, including the name, designation in the applicant, qualification, and previous positions held, experience, date of appointment in the applicant and functional areas.

4. INFRASTRUCTURE

4.1. Details of infrastructure including computing facilities, office space, equipment, manpower, facilities for research and database available with the company and whether the existing infrastructure is adequate to carry on the rating activities proposed to be undertaken by the applicant.

4.2. Any further plan for additional/ improved infrastructure, and if applicable, declaration of remote work environment, if any, to be indicated.

5. MAJOR SHAREHOLDERS

5.1. List of major shareholders (holding five per cent. or more shareholding in the applicant, directly or along with associates) in the format provided below:

Shareholding as on:

Name of shareholder	**No. of Shares held**	**%age of total paid up capital of the company**

6. ASSOCIATE CONCERNS

6.1. Particulars of associate companies/concerns which shall include name, address, type of activity handled, nature of interest of the applicant in the associate, nature of interest of promoter(s) of the applicant in the associate.

6.2. Whether the Board has granted or refused registration as ESG rating provider to any associate of the applicant along with the details of date of application, date of refusal/registration, reasons for refusal etc.

7. BUSINESS INFORMATION OF THE COMPANY

7.1. History, major events and present activities along with details of experience in rating activities and other related activities.

7.2. If the applicant is proposing to engage in ESG rating activities for the first time, business plan of the company with projected volume of activities and income for which registration is sought.

7.3. Rating activities handled during the last three years as per the table below:

Name of Client	**Size of Issue**	**Year of Issue**	**Security/Instrument Rated**	**listed/unlisted**

7.4. Details of other rating activities undertaken during last three years.

7.5. Any other information considered relevant to the nature of services rendered by the applicant.

8. FINANCIAL INFORMATION ABOUT THE APPLICANT

8.1. Liquid Net worth (rupees in lakhs)

Items	Year prior to the preceding year of the current year	Preceding year	Current year
(a) Paid-up equity capital			
(b) Free reserves (excluding reserves created out of revaluation)			
Total (a) + (b)			
(c) Accumulated Losses			
(d) Deferred expenditure not written off, including miscellaneous expenses not written off			
Net worth (a) + (b) - (c) – (d)			

8.2. Please enclose audited annual accounts for the last three years. Where unaudited reports are submitted, give reasons. If minimum liquid net worth Requirement has been met after last audited annual accounts, audited statement of accounts of a later date shall also be submitted.

8.3. Provide a declaration that the liquid net worth of the applicant is in compliance with these regulations. Submit relevant documentation to support the same.

8.4. Name and address of the principal bankers of the applicant.

8.5. Name and address of the auditors.

9. OTHER INFORMATION

9.1. Details of all pending litigation against the applicant company, directors and employees:

Nature of dispute	Name of the party	Status

9.2. Indictment or involvement in any legal proceeding connected with the securities market by the applicant or any of its directors, or key managerial personnel in the last three years;

9.3. Details of previous application to the Board as an ESG rating provider, if any.

9.4. If the applicant has, in the past, been deemed not 'fit and proper' by the Board, please provide relevant details of the same.

10. DECLARATION

10.1. Give the following declarations signed by two directors:

I/We hereby apply for a certificate.

I/We warrant that I/We have truthfully and fully answered the questions above and provided all the information which might reasonably be considered relevant for the purposes of my registration.

I/We declare that the information supplied in the application form is complete and correct.

For and on behalf of

(Name of Applicant)

Director — Name in Block Letters

Director — Name in Block Letters

Date Date

FORM – B

Certificate of Registration as an ESG rating provider

I. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), read with the rules and regulations made thereunder, the Board hereby grants a certificate of registration to ____ as an Environmental, Social, and Governance (ESG) rating provider, under Category-____________, in accordance with and subject to the conditions in the regulations to carry out the activity of the ESG rating provider: -

II. Registration Code for the ESG rating provider is IN/ERP/(Category)/___________.

III. This certificate of registration shall be valid till it is suspended or cancelled by the Board.

Place:

Date **By Order**

____

For and on behalf of

Securities and Exchange Board of India

SIXTH SCHEDULE

[See regulations 28C and 28G]

FEES FOR ESG RATING PROVIDERS

PART A

Amount to be paid as fees

Sr. No.	Particulars	Fees payable
1.	Application fee for grant of registration	50,000
2.	Registration Fees (a) Category I (b) Category II	(a) 10,00,000 (b) 1,00,000
3.	Recurring registration fee (For every three years) (a) Category I (b) Category II	(a) 5,00,000 (b) 50,000

PART B

1. An ESG rating provider who has been granted a certificate, shall pay fees, as specified under item 2 of Part A, within fifteen days from the date of receipt of intimation from the Board.
2. An ESG rating provider who has been granted a certificate shall, to keep its registration in force, pay fee as specified under item 3 of Part A, every three years from the sixth year of the date of grant of certificate.
3. The fee specified above shall be paid by way of direct credit in the bank account through online payment using SEBI payment gateway.
4. The (recurring) registration fee payable every three years as specified under paragraph 3 of Part A, shall be paid by the ESG rating provider one month prior to the expiry of the period, for which the fee has been paid.

SEVENTH SCHEDULE

[See regulation 28J]

CODE OF CONDUCT FOR ESG RATING PROVIDERS

1. An ESG rating provider shall make all efforts to protect the interests of the investors.
2. An ESG rating provider, in the conduct of its business, shall observe high standards of integrity, dignity and fairness in the conduct of its business.
3. An ESG rating provider shall fulfil its obligations in a prompt, ethical and professional manner.
4. An ESG rating provider shall, at all times, exercise due diligence, ensure proper care and exercise independent professional judgment in order to achieve and maintain objectivity and independence in the ESG rating process.
5. An ESG rating provider shall maintain records to support its decisions.
6. An ESG rating provider shall adopt and implement ESG rating processes that reflect consistent rating standards.
7. An ESG rating provider shall not indulge in any unfair competition, nor shall it induce or induct the clients of any other ESG rating provider on assurance of higher or lower ESG rating.
8. An ESG rating provider shall keep track of all important changes relating to the issuers or securities it rates and shall develop efficient and responsive systems to yield timely and accurate ratings.
9. An ESG rating provider shall also monitor closely all relevant factors that might affect the environmental, social or governance characteristics of the rated issuers or their securities.
10. An ESG rating provider shall, wherever necessary, disclose to the client, all possible sources of conflict of duties and interests, which could impair its ability to make fair, objective and unbiased ratings.
11. An ESG rating provider shall ensure that no conflict of interest exists between any member participating in the rating analysis, and that of the person who is being rated or whose securities are being rated.
12. An ESG rating provider shall not make any exaggerated statement, whether oral or written, to the client either about its qualification or its capability to render any services or its achievements with regard to the services rendered to other clients.
13. An ESG rating provider shall not make any untrue statement, suppress any material fact or make any misrepresentation in any documents, reports, papers or information furnished to the Board, stock exchange or public at large.
14. An ESG rating provider shall promptly inform the Board about any action, legal proceedings etc., initiated against it alleging any material breach or non-compliance by it, of any of the laws, rules, regulations to which it is subject, and of directions of the Board or of any other regulatory body.
15. An ESG rating provider shall maintain an appropriate level of knowledge and competence and abide by the provisions of the Act, regulations and circulars, which may be applicable and relevant to the activities carried on by the ESG rating provider.
16. An ESG rating provider shall ensure that there is no misuse of any privileged information including prior knowledge of ESG rating decisions or changes.
17. An ESG rating provider or any of its employees shall not render, directly or indirectly any investment advice about any security being rated or about any rated person or the person whose securities are rated in publicly accessible media.
18. An ESG rating provider shall ensure that any change in registration status or any material change in financials or in case of any penal action taken by the Board which may adversely affect the interests of clients or investors is promptly informed to the clients and any business remaining outstanding is transferred to another registered person in accordance with any instructions of the affected clients or investors.
19. An ESG rating provider shall maintain an arm's length relationship between its ESG rating activity and any other activity.

20. An ESG rating provider shall develop its own internal code of conduct for governing its internal operations and laying down its standards of appropriate conduct for its employees and officers in the carrying out of their duties within the ESG rating provider and as a part of the industry. Such a code shall provide for the maintenance of professional excellence and standards, integrity, confidentiality, objectivity, avoidance of conflict of interests, disclosure of shareholdings and interests, etc. Such a code shall also provide for procedures and guidelines in relation to the establishment and conduct of the officers and employees serving in the rating process.

21. An ESG rating provider shall provide adequately empower its compliance officer to enable him or her to effectively discharge his duties.

22. An ESG rating provider shall ensure that the senior management, particularly decision makers, have access to all relevant information about its business on a timely basis.

23. An ESG rating provider shall ensure that good corporate policies and corporate governance are adopted and followed.

24. ESG rating provider shall not, generally and particularly, in respect of issuers or securities rated by it, be party to or instrumental for—

    (a) creation of false market;

    (b) price rigging or manipulation; or

    (c) dissemination of any unpublished price sensitive information in respect of securities which are listed and proposed to be listed in any stock exchange, unless required, as part of rationale for the rating accorded."

BABITHA RAYUDU, Executive Director
[ADVT.-III/4/Exty./246/2023-24

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999 were issued under S.O. No. 547 (E) dated July 7, 1999 published in the Gazette of India.
2. The Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999 were subsequently amended on—
    a. March 28, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 published in Official Gazette vide S.O. No. 278(E).
    b. May 29, 2001, by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) (Regulations), 2001 vide S.O. No. 476 (E).
    c. September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide No. S.O. No.1045 (E).
    d. February 19, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No. 203 (E).
    e. October 1, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Second Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No. 1160 (E).
    f. March 10, 2004 by Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S. O. No. 398 (E).
    g. September 7, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2006 vide S. O. No. 1454(E).
    h. May 26, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 vide no. LAD/ NRO/GN/2008/11/126538.
    i. March 19, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2010 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2009-2010/30/199044.
    j. April 13, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD/ NRO/ GN/ 2011-12/03/12650.
    k. July 5, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD/NRO/GN/2011-12/10/21232.

l. December 27, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Second Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD/NRO/GN/2011-12/31/39022.

m. May 23, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2014 vide notification no. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.

n. December 8, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016 vide Notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/023.

o. March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037 read with notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38 dated March 29, 2017.

p. May 30, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2018 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018-15.

q. September 11, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/36.

r. September 23, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2019 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/34.

s. April 17, 2020 by the by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.

t. May 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2021 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/23.

u. August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2021 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/29.

v. August 3, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.

w. January 24, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2022, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/69.

x. January 17, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Control in Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2023, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/115.

*****

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.